अनुमोदन हेतु प्रारूप

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–
विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन) का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक–प्र०–7/विविध–04–38/2023– **/पटना, दिनांक.....................**

प्रेषक,

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० उपभाग सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।
मुख्य महाप्रबंधक,
बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना।
सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार।
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० प्रमंडल सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार।

विषय :– **अन्य विभागों/निगमों द्वारा कालीसूची में डाले गये/मुक्त किये गये संवेदकों की सूची विभागीय बेबसाईट पर विभागीय संसूचन हेतु अपलोड करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड एवं जल संसाधन विभाग द्वारा कतिपय संवेदकों को कालीसूची में डाले जाने/मुक्त किये जाने की सूचना दी गयी है, जो निम्न है :–

क्र० सं०	संवेदक का नाम/ निबंधन संख्या	विभाग/ निगम का नाम	ज्ञापांक/दिनांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	संवेदक Vikash Traders, Prop-Binod Kumar Yadav, Ward No-03, Manigachhi Chanaur Chandaur, Dist-Darbhanga, Pin-847422 (Reg. No–BCD-2240161 Class-II)	भवन निर्माण विभाग	ज्ञापांक–6313(भ) दिनांक–17.07. 2026	आदेश निर्गत होने की तिथि से दो वर्षों के लिए निलंबित किया जाता है।
2	संवेदक M/S Jai Mata Rani Construction, At.-Sidharthpurti Colony, Road No.-02, Manpur, Dist-Gaya, Pin-823003 (Reg. No-2161157)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–9790 दिनांक–17.07. 2026	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) एवं 11 (ख)(ii) में निहित प्रावधान के आलोक में संवेदक को 10 (दस) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
3	संवेदक मे० कॉत्यायनी कॉन्ट्रेक्टर्स प्रा० लि०, निदेशक–श्री रणधीर कुमार, ग्राम+पो०–परेव, जिला–पटना, पिन-802160	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक–3931 दिनांक–09.07. 2026	जल संसाधन विभाग का आदेश संख्या–1529 दिनांक–18.03.2026 द्वारा किये गये कालीकरण ओदश को Set Aside किया गया है।

4	संवेदक Abdhesh Kumar, Add:-At-Birjain, Post-Narayanpur, Ward No.-01, P.S-Nauhatta, Dist-Saharsa, Bihar, Pin-852123 (निबंधन संख्या-1240088, PAN No.-CFBPK5100B)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–9201 दिनांक–09.07. 2026	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक–19.12.2007 की कंडिका 11(क) (ix) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक को 10 (दस) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
5	संवेदक Rishikesh Kumar, At:-Flat No-337, Bahadurpur Housing Colony, Near Mahavir Mandir Sector-06, Sampatchak, Dist-Patna, Pin-800026 (Reg. No-1210051)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–9465 दिनांक–13.07. 2026	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक–19.12.2007 की कंडिका 11(क) की उपकंडिका (ix) एवं 11 (ख) (ii) में निहित प्रावधान के तहत संवेदक को 10 (दस) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
6	संवेदक Anand Kumar, S/O-Sri Anil Kumar, Vill:-Mapho, Near Shiv Temple, P.S.-Mehus, Dist-Sheikhpura, Pin-811105 (Reg. No-1210431)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–9466 दिनांक–13.07. 2026	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक–19.12.2007 की कंडिका 11(क) की उपकंडिका (vi) एवं 11(ख)(ii) में निहित प्रावधान के तहत संवेदक को 10 (दस) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
7	संवेदक Shiva Enterprises, Prop-Rashmi Kumari, Add:-Said Nagar Near K K Lal School Laheriasarai Darbhanga Bihar Pin-846001 (निबंधन संख्या-1250149, PAN No.-GLFPK7224G)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–9503 दिनांक–14.07. 2026	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक–19.12.2007 की कंडिका 11(क) (ix) एवं 11(ख)(ii) के आलोक में संवेदक को 10 (दस) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
8	संवेदक Avipriyansh Cons. Pvt. Ltd, Add:-At-House No-1, Gabara Par, P.O+P.S-Hilsa, Dist-Nalanda, Bihar-801302 (निबंधन संख्या-2180611 Class-I, PAN No.-AAQCA7312Q)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–9584 दिनांक–15.07. 2026	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक–19.12.2007 की कंडिका 11(क)(vi) एवं 11(ख)(ii) के आलोक में संवेदक को 10 (दस) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
9	संवेदक Ajay Kumar Rai, S/O-Lachhan Ray, Add:-At-Bhalawhiya, P.O-M.Kuwari, Manrar, Saran, Bihar, Pin-841219 (निबंधन संख्या-963/2013-I, 2210353/2021-II, PAN No.-ANIPR8315C)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–9583 दिनांक–15.07. 2026	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक–19.12.2007 की कंडिका 11(क)(vi) एवं 11(ख)(ii) के आलोक में संवेदक को 10 (दस) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
10	संवेदक M/S Rudra Enterprises, Add:-At-Belbanwa, P.O-Motihari, P.S-Motihari, Dist-East Champaran, Bihar, Pin-845401 (Reg. No-1180138, PAN No.-AAMFR9132J)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–9504 दिनांक–14.07. 2026	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक–19.12.2007 की कंडिका 11(क)(ix) एवं 11(ख)(ii) के आलोक में संवेदक को 10 (दस) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।

11	संवेदक Shree Amrit Raj, S/O-Sushil Singh, Maharaja Hata, Katira Ara Dist-Bhojpur, Bihar, Pin-802301 (Reg. No-2190511, PAN No.-AUJPR2062G)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–8376 दिनांक–30.06. 2026	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) एवं 11(ख)(ii) में विहित प्रावधान के तहत संवेदक को 10 (दस) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
12	संवेदक Swift Engicon Pvt. Ltd, Pharmacautical Colony, Jayprakash Nagar, Kankarbagh, Patna, Bihar, Pin-800026 (Reg. No-2211074, PAN No.-AAVCS2727A)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–8378 दिनांक–30.06. 2026	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) एवं 11(ख)(i) में विहित प्रावधान के तहत संवेदक को 10 (दस) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
13	संवेदक Radhika Construction Co, Add:- At-Radhika Construction, Vill+P.O-Chauradano, East Champaran, Bihar Pin-845302 (Reg. No-1220088/1180211, PAN No.-AALFR7003D)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–9146 दिनांक–08.07. 2026	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक–19.12.2007 की कंडिका 11(क)(ix) एवं 11(ख)(ii) के आलोक में संवेदक को 10 (दस) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
14	संवेदक Vivek Kumar Singh, S/O-Satyendra Narayan Singh At:- Club Road, D M Residence Arrah, Bhojpur, Bihar, Pin-802301 (Reg. No-1200096, PAN No.-DJUPS5291B)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–8379 दिनांक–30.06. 2026	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) एवं 11(ख)(i) में विहित प्रावधान के तहत संवेदक को 10 (दस) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
15	संवेदक Ram Swarath Ray, Add:-Vill-Belahi Lachchhi Bankul, P.O-Siwaipatti, P.S-Minapur, Dist-Muzaffarpur, Pin-84312 (Reg. No-1250140, PAN No.-ASLPR6720R)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–8159 दिनांक–23.06. 2026	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक–19.12.2007 की कंडिका 11(क)(ix) एवं 11(ख)(ii) के आलोक में संवेदक को 10 (दस) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
16	संवेदक Uday Shankar Prasad, S/O-Prayag Narayan, Add:-House No-27, Udantpuri Garhpar, Post+Thana, Bihar Sharif, Dist-Nalanda, Bihar, Pin-803101 (Reg. No-1190287, PAN No.-AFEPP3685B)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–8377 दिनांक–30.06. 2026	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) एवं 11(ख)(ii) में विहित प्रावधान के तहत संवेदक को 10 (दस) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
17	संवेदक Ravindra Kumar Singh, At:-Vill-Sakhuan, Ward No.-10, P.O-Panjar, P.S-Karghar, Dist-Rohtas, Pin-802215 (Reg. No-1240562)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–8180 दिनांक–23.06. 2026	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) में विहित प्रावधान के आलोक में संवेदक को 10 (दस) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।

18	संवेदक N K Bharti Construction, Prop-Bharti Kumari, Add:-Rajendra Nagar Madhubani, Dist-Purnea, Pin-854301 (Reg. No-1210027, PAN No.-CIBPK9087Q)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–10361 दिनांक–05.08.2026	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक–19.12.2007 की कंडिका 11(क)(v) एवं 11(ख)(i) में वर्णित प्रावधानों के आलोक में संवेदक को अगले 02 (दो) वर्षों के लिए निलंबित किया गया है।
19	संवेदक Dharmraj Construction, Prop-Mohan Mandal, Add:-At Ward No.10 College Chowk, Dist-Mahepura, Pin-852113 (Reg. No-2191288, PAN No.-CAFPM6328A)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–10409 दिनांक–06.08.2026	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक–19.12.2007 की कंडिका 11(क)(vi) एवं 11(ख)(ii) के आलोक में संवेदक को 10 (दस) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
20	संवेदक Sahishnu Construction Pvt. Ltd, C/O-Sri Aniket Sharma, Add:-Vill-Mor Part in Ghoswari Tola East, Panch More East, Mokama, Patna, Bihar, Pin-803302 (Reg. No-1240340)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–10360 दिनांक–05.08.2026	ग्रामीण कार्य विभाग का सकारण आदेश ज्ञापांक–3547 दिनांक–19.03.2026 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत किये जाने के आदेश को यथावत रखा जाता है।
21	संवेदक Kumar Gaurav, Milan Para, Station Road, Khuskibagh, Purnea East, Purnea-854305 (Reg. No–BCD-1240027 Class-I)	भवन निर्माण विभाग	ज्ञापांक–6612(भ) दिनांक–17.07.2026	आदेश निर्गत होने की तिथि से एक वर्षो के लिए निलंबित किया जाता है।
22	संवेदक मेसर्स न्यासा इंटरप्राईजेज, प्रो०–हरेन्द्र कुमार, पता–रिकाबगंज ठेकारी, जिला–गया, पिन–824236 (निबंधन सं०–MWRD0621C2PR2089)	लघु जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक–4856 दि०–23.07.2026	आदेश के निर्गत की तिथि से 02 (दो) वर्षों के लिए इस शर्त्त के साथ कालीकृत किया जाता है कि भविष्य में इस तरह की घटना के संज्ञान में आने पर नियमानुसार पुनः काली सूची में सम्मिलित कर दिया जायेगा एवं इस तरह के कृत्य की पुनरावृति किये जाने पर उनके विरूद्ध प्राथमिकी (FIR) भी दर्ज की जा सकती है।
23	संवेदक Balajee Developers, At:-New Colony Chhotki Delha, Road No-5, Dist-Gaya, Pin-823002 (Reg. No-2180267)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–9988 दिनांक–23.07.2026	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) एवं 11(ख)(ii) में निहित प्रावधान के आलोक में संवेदक को 10 (दस) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
24	संवेदक Sudhir Kumar Singh, At:-Hasanpura, P.O-Chakand, Dist-Gaya, Pin-804404 (Reg. No-2161063)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–10007 दिनांक–24.07.2026	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) एवं 11(ख)(ii) में निहित प्रावधान के आलोक में संवेदक को 10 (दस) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।

25	संवेदक Naveen Kumar Suman, Rama Bhawan, Ramna Road, P.S-Civil Line, Dist-Gaya, Pin-823001 (Reg. No-3160017)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–10009 दिनांक–24.07. 2026	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) एवं 11(ख)(ii) में निहित प्रावधान के आलोक में संवेदक को 10 (दस) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
26	संवेदक Anjeet Kumar, At-Vill+P.O-Dema, Fatehpur, Dist-Gaya, Pin-824233 (Reg. No-3170099)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–10008 दिनांक–24.07. 2026	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) एवं 11(ख)(ii) में निहित प्रावधान के आलोक में संवेदक को 10 (दस) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
27	संवेदक Sri Ramanuj Sharma, At-Rajapur, Bodhgaya, Dist-Gaya, Pin-824231 (Reg. No-22936)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–9987 दिनांक–23.07. 2026	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) एवं 11(ख)(ii) में निहित प्रावधान के आलोक में संवेदक को 10 (दस) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
28	संवेदक केशव कुमार चौबे मिश्रा, पता–इनार बरवा, पो०–जोगिया, थाना–रामनगर, जिला–पश्चिम चम्पारण, Pin-845106 (Reg. No-2200647)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–10285 दिनांक–03.08. 2026	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक–19.12.2007 की कंडिका 11(क)(ix) एवं 11(ख)(ii) के आलोक में संवेदक को 10 (दस) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
29	संवेदक सुभाष कुमार झा, प्रो० पता–रेवासी रिगा रोड, रेवाई मुकशुदपुर टोला, सीतामढ़ी, बिहार 843327	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०	ज्ञापांक–1998 दिनांक–31.07. 2026	अगले 10 (दस) वर्षों तक बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० में किसी प्रकार के निविदा में भाग लेने से वंचित किया गया है।
30	संवेदक AIPL-GMC(JV), Add-302, Shikshar Complex Opposite Navneet House, Gurukul Road Memnagar, Ahmedabad-380052	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	ज्ञापांक–5468 दिनांक–27.07. 2026	BSEIDC ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2025 के आलोक में संवेदक के निबंधन को पत्र निर्गत की तिथि से अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कलीकृत किया गया है।

अतः काली सूची में डाले गये एवं निलंबित किये गए संवेदकों को निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाय।

2. कॉलम 4 में अंकित संबंधित विभाग के पत्र का संदर्भ भी लिया जाना आवश्यक होगा।

3. यह सूचना केवल विभागीय संसूचन एवं परिचालन के लिए है।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/–
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांक–प्र०–7/विविध–04–38/2023– **/पटना, दिनांक..................**

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना / सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/ मुख्य अभियंता, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना/ को सूचनार्थ प्रेषित।

कृ०प०उ०

2. आपके विभाग से संबंधित प्रविष्टि में अशुद्धि परिलक्षित होने पर अवगत कराने की कृपा की जाए।

ह0/–
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांक–प्र०–7/विविध–04–38/2023– 5890 (E) **/पटना, दिनांक** 25/8/2026

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण)/ कार्यपालक अभियंता, (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को Website पर Upload करने हेतु तथा प्रभारी e-tendering को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

20/8/26

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

20.08.26

D:\Avinash Work Folder\Black Listing, Suspension Letter of Other Dept..docx

आ०सं०:–भवन–13/अभि०प्र०(नि०)–03–निलंबन/कालीकृत–29/2025..............................दिनांक–

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

आदेश

दरभंगा परिक्षेत्र अन्तर्गत Construction of 33 Nos of Garages for Mobile Veterinary Unit in Block level Veterinary Hospitals of Darbhanga, Madhubani, Samastipur districts under Darbhanga Range for the year 2025-26 (Tendor Id-105989) के कार्य आवंटन के उपरांत अत्यधिक विलंब के बावजूद भी एकरारनामा नहीं करने के कारण संवेदक, Vikash Traders (Prop-Binod Kumar Yadav), Ward no-03, Manigachhi Chanaur Chandaur, Dist-Darbhanga, Pincode-847422 को दोषी मानते हुए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (अभियंत्रण कोषांग), बिहार, पटना के आदेश सह–पठित ज्ञापांक–547 दिनांक–09.12.2025 द्वारा इनके विरूद्ध बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली–2007 के तहत् कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में आयोजित संवेदको के निलंबन/कालीकरण दिनांक–17.02.2026 को हुई बैठक में समिति द्वारा उक्त मामले में संवेदक, Vikash Traders (Prop-Binod Kumar Yadav), Ward no-03, Manigachhi Chanaur Chandaur, Dist-Darbhanga, Pincode-847422 से स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया। तदालोक में विभागीय पत्रांक–2508(भ) दिनांक–13.03.2026 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। संवेदक के स्पष्टीकरण का जवाब अप्राप्त।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में आयोजित संवेदको के निलंबन/कालीकरण दिनांक–19.03.2026 को हुई बैठक में समिति द्वारा संवेदक को स्मार पत्र देने का निर्णय लिया गया। तदालोक में विभागीय पत्रांक–3070(भ) दिनांक–30.03.2026 द्वारा स्मारित किया गया। संवेदक के स्पष्टीकरण का जवाब अप्राप्त।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में आयोजित संवेदको के निलंबन/कालीकरण संबंधित बैठक दिनांक–28.04.2026 को हुई बैठक में समिति द्वारा संवेदक को अंतिम बार स्मारित करते हुए प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी सूचित करने का निर्णय लिया गया। तदालोक में विभागीय पत्रांक–4261(भ) दिनांक–12.05.2026 एव पत्रांक–4437(भ)अनु० दिनांक–18.05.2026 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया एवं विभिन्न समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी। संवेदक का जवाब अप्राप्त।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में आयोजित संवेदको के निलंबन/कालीकरण संबंधित बैठक दिनांक–07.07.2026 को हुई बैठक में समीक्षोपरांत समिति द्वारा संवेदक के निबंधन को दो वर्षो के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया।

अतः संवेदक, Vikash Traders (Prop-Binod Kumar Yadav), Ward no-03, Manigachhi Chanaur Chandaur, Dist-Darbhanga, Pincode-847422 (Reg.No.-BCD-2240161 Class-II) को आदेश निर्गत होने की तिथि से दो वर्षो के लिए निलंबित किया जाता हैं।

ह०/–

(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

Sec-13 Prakash(Sudhir Ji) कार्यालय आदेश..

P.T.O

ज्ञापांक–भवन–13/अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन/कालीकृत–29/2025....................... पटना,दिनांक–

स्पीडपोस्ट

प्रतिलिपिः–संवेदक, Vikash Traders (Prop-Binod Kumar Yadav), Ward no-03, Manigachhi Chanaur Chandaur, Dist-Darbhanga, Pincode-847422 (Reg.No.-BCD-2240161 Class-II) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–भवन–13/अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन/कालीकृत–29/2025 6613(अ) पटना,दिनांक– 17/7/26

प्रतिलिपिः–सचिव के वरीय आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना/मुख्य अभियंता, पशु एवं मत्स्य विभाग, सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता,भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया के अधीन पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत कुल चार पथ निर्माण कार्य संवेदक M/S Jai Mata Rani Construction(Regd. No-2161157) को आवंटित किया गया।

सभी पथों का विवरण निम्नरूपेण है:–

क्र0सं0	पथ का नाम	कार्य प्रारंभ की तिथिं	कार्य समाप्ति की तिथि
1.	L027- Gaya Dobhi Road T03 to Bajitput(VR27)	26.09.2017	25.09.2018
2.	Gaya Nawada Road to Kewal Dharma	29.12.2017	28.12.2018
3.	Patwans Road to Kewal	20.10.2017	19.10.2018
4.	Ganesidih Road to Marhitand	06.11.2017	05.11.2018

उक्त पथ में पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं किये जाने के कारण एकरारनामा विखंडन के उपरांत कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, गया एवं अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, गया द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में मुख्य अभियंता–02(गया), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया का पत्रांक 431 अनु0 दिनांक 08.05.2026 एवं पत्रांक 497 अनु दिनांक 18.05.2026 द्वारा विहित प्रपत्र में संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया।

उक्त अनुशंसा के आलोक में संवेदक के विरूद्ध बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधान के तहत कार्रवाई किये जाने के पूर्व संवेदक विभागीय पत्रांक 6784 दिनांक 02.06.2026 एवं पत्रांक 8001 दिनांक 20.06.2026 द्वारा कारणपृच्छा की गई। कारणपृच्छा के आलोक में संवेदक द्वारा अबतक बचाव बचान समर्पित नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि संवेदक को अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में कार्य प्रमंडल, गया के अधीन पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत कुल चार पथों में पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं किये जाने संबंधी आरोप को प्रमाणित मानते हुए बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007(ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) एवं 11(ख)(ii) में निहित प्रावधान के आलोक में संवेदक M/S Jai Mata Rani Construction(Regd. No-2161157), At-Sidharthpurti Colony, Road No-02, Manpur, Dist-Gaya, Pin-823003 को 10(दस) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

16/07/2026
(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:–14/अ0प्र0–14–152/2026 9790 /पटना, दिनांक:– 17.7.26

प्रतिलिपि:– M/S Jai Mata Rani Construction(Regd. No-2161157), At-Sidharthpurti Colony, Road No-02, Manpur, Dist-Gaya, Pin-823003 को सूचनार्थ प्रेषित।

16/07/2026
अभियंता प्रमुख

P.T.O.

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–152/2026 9790 /पटना, दिनांकः– 17.7.26

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–152/2026 9790 /पटना, दिनांकः–17.7.26

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–152/2026 9790 /पटना, दिनांकः–17.7.26

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

पत्र संख्या–26 / विविध–06–64 / 2025................... /

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश

भवन निर्माण विभाग, पटना के अंतर्गत डुमरिया में प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय के निविदा आमंत्रण सूचना सं0–पी0आ0सं0–008405(भ0) / 2025–26 की निविदा में संवेदक कात्यायनी कॉन्ट्रेक्टर्स प्रा0 लि0, ग्राम+पो0–परेव, जिला–पटना द्वारा गलत अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित करने के आरोप के लिए अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग के पत्रांक–11132 दिनांक–12.12.2025 द्वारा संवेदक के निबंधन संख्या Wrd Reg No.-17/2023, Class I को बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के तहत निलंबित करने की अनुशंसा की गयी।

भवन निर्माण विभाग से प्राप्त अनुशंसा के समीक्षोपरांत संवेदक द्वारा फर्जी / जाली अभिलेख / कागजात के आधार पर निविदा प्राप्त करने का प्रयास करना बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11 (क) के उपनियम (vii) के कदाचार की श्रेणी में पाते हुए संवेदक से कारण पृच्छा की गयी, लेकिन संवेदक द्वारा कारण–पृच्छा प्रत्युत्तर समर्पित नहीं किया गया। उपलब्ध साक्ष्य एवं अभिलेख के समीक्षोपरांत संवेदक को विभागीय आदेश सं0–1529 दिनांक–18.03.2026 द्वारा 10 वर्षों के लिए कालीकृत किया गया।

कालीकृत किये जाने के विरूद्ध संवेदक कात्यायनी कॉन्ट्रेक्टर्स प्रा0 लि0 द्वारा सचिव, जल संसाधन विभाग के समक्ष अपील केस सं0–........... / 2026 दायर किया गया।

मामले की सुनवाई दिनांक–06.07.2026 को की गयी। सुनवाई में संवेदक के अधिवक्ता प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि जल संसाधन विभाग में प्रथम श्रेणी में उनका Offline निबंधन है जिसका निबंधन सं0–17 / 2023 वैधता 03.05.2023 से दिनांक–02.05.2028 तक है, लेकिन Offline निबंधन को Online में परिवर्तित नहीं कराने के कारण जल संसाधन विभाग के पत्रांक–1964 दिनांक–09.05.2025 के आलोक में उनका निबंधन अमान्य / रद्द हो गया है। तदोपरांत जल संसाधन विभाग के द्वारा हमारे निबंधन को कालीकृत किया गया, जो सही नहीं है।

संवेदक प्रतिनिधि द्वारा उल्लेखित तथ्यों के समीक्षोपरांत संवेदक के निबंधन प्रमाण पत्र को अमान्य मानते हुए विभागीय आदेश सं0–1529 दिनांक–18.03.2026 द्वारा किये गये कालीकरण आदेश को Set Aside किया जाता है एवं अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग से प्राप्त अनुशंसा पत्रांक–11132 दिनांक–12.12.2025 को वापस करते हुए अनुशंसा की जाती है कि फर्जी / जाली प्रमाण पत्र पर निविदा प्राप्त करने के प्रयास के लिए संवेदक कॉत्यायनी कॉन्ट्रेक्टर्स प्रा0 लि0 के विरूद्ध भवन निर्माण विभाग अपने स्तर से नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

(चंद्रशेखर सिंह)
सरकार के सचिव

1652

ज्ञापांक :– 26 / विविध–06–64 / 2025 पटना / दिनांक :...

प्रतिलिपिः– संवेदक मे0 कात्यायनी कॉन्ट्रेक्टर्स प्रा0 लि0., निदेशक–श्री रणधीर कुमार, ग्राम+पो0–परेव, जिला–पटना, पिनकोड–802160 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांकः– 26 / विविध–06–64 / 2025 3931 पटना, दिनांक :09.7.26

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, जल संसाधन विभाग / पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/7/24

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

सकारण आदेश

सकारण आदेश संख्या–14 / अ0प्र0–14–22 / 2026 9201 / पटना, दिनांक– 9.7.26

संवेदक Abdhesh Kumar, (Reg. No. 1240088), Add:-At- Birjain, Post-Narayanpur, Ward No.-01, P.S-Nauhatta, Dist- Saharsa, Bihar, Pincode-852123 द्वारा MMGSY योजनान्तर्गत कार्य प्रमंडल, मधेपुरा के अधीन निविदा समूह– MMGSY-(AWSESH-SC)-Madhepura-439 (Tender ID-142296) की निविदा में Audited Annual Financial Report गलत / फर्जी संलग्न किये जाने के कारण मुख्य अभियंता–04 (पूर्णियाँ) ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 14 दिनांक 08.01.2026 द्वारा संबंधित संवेदक के निबंधन संख्या को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त अनुशसां के आलोक में विभागीय पत्रांक 1864 अनु0 दिनांक 12.02.2026 एवं पत्रांक 2917 दिनांक 06.03.2026 द्वारा उक्त संवेदक को स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

संवेदक द्वारा अपने स्पष्टीकरण में Audited Annual Financial Report को सही बताया गया है तथा ई–मेल के माध्यम से इसकी प्रति समर्पित करने की स्थिति में इसे नहीं देखे जाने की बात कही गयी है।

संवेदक के स्पष्टीकरण पर मुख्य अभियंता–04 (पूर्णियाँ), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें Audited Annual Financial Report की जॉच हेतु संवेदक से 26AS की कई बार मॉग करने पर इसे संवेदक द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया प्रतिवेदित है। स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा गया।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं है।

अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (ix) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक Abdhesh Kumar, (Reg. No. 1240088), Add:-At- Birjain, Post-Narayanpur, Ward No.-01, P.S-Nauhatta, Dist- Saharsa, Bihar, Pincode-852123 के निबंधन संख्याः–1240088, PAN No. CFBPK5100B को 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–22 / 2026 9201 / पटना, दिनांक– 9.7.26

प्रतिलिपि– संवेदक Abdhesh Kumar, (Reg. No. 1240088), Add:-At- Birjain, Post-Narayanpur, Ward No.-01, P.S-Nauhatta, Dist- Saharsa, Bihar, Pincode-852123 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

P.T.O

7650

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–22/2026 9201 /पटना, दिनांक– 9.7.26

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–22/2026 9201 /पटना, दिनांक– 9.7.26

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–22/2026 9201 /पटना, दिनांक– 9.7.26

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ebsite

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–22/2026 9201 /पटना, दिनांक– 9.7.26

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।

अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
<u>सकारण आदेश</u>

संवेदक Rishikesh Kumar (Regd. No-1210051), At-Flat No-337, Bahadurpur Housing Colony, Near Mahavir Mandir Sector-06, Sampatchak, Dist-Patna, Pin-800026 द्वारा भवन निर्माण विभाग के अधीन बांका जिलान्तर्गत बाराहट प्रखंड के महुआ, खड़हरा पंचायत में पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य की निविदा में भाग लिया गया।

निविदा में गलत अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग का पत्रांक 2602(भ) अनु0 दिनांक 17.03.2026 द्वारा बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधान के तहत संवेदक Rishikesh Kumar (Regd. No-1210051) के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया है। उक्त अनुशंसा के आलोक में संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने के पूर्व संवेदक से कारणपृच्छा की गई। संवेदक द्वारा दिनांक 30.03.2026 को स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत निविदा में उनके द्वारा भाग ही नहीं लिया गया है।

संवेदक के स्पष्टीकरण पर भवन निर्माण विभाग द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराते हुए उल्लेख किया गया कि संवेदक द्वारा उक्त निविदा में भाग लिया गया है एवं निविदा प्राप्त करने के लिए गलत कागजात समर्पित किया गया है। संवेदक का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में भवन निर्माण विभाग के अधीन बांका जिलान्तर्गत बाराहट प्रखंड के महुआ, खड़हरा पंचायत में पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य की निविदा में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) की उपकंडिका (ix) एवं 11(ख)(ii) में निहित प्रावधान के तहत संवेदक Rishikesh Kumar (Regd. No-1210051), At-Flat No-337, Bahadurpur Housing Colony, Near Mahavir Mandir Sector-06, Sampatchak, Dist-Patna, Pin-800026 को 10(दस) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–100/2026 9465 /पटना, दिनांकः– 13.7.26

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

P.T.O.

1648

निबंधित

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–100/2026 9465 /पटना, दिनांकः– 13.7.26

प्रतिलिपिः– Rishikesh Kumar (Regd. No-1210051), At-Flat No-337, Bahadurpur Housing Colony, Near Mahavir Mandir Sector-06, Sampatchak, Dist-Patna, Pin-800026 को सूचनार्थ प्रेषित।

10/07/2026

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–100/2026 9465 /पटना, दिनांकः– 13.7.26

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/07/2026

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–100/2026 9465 /पटना, दिनांकः– 13.7.26

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/07/2026

अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा के अधीन शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाई0 (अवशेष) योजनान्तर्गत पैकेज संख्या–BRRP2-773-Nawada के तहत तीन पथ निर्माण कार्य संवेदक Anand Kumar(Regd. No-1210431), S/O-Sri Anil Kumar, Vill-Mapho, Near Shiv Temple, P.S.-Mehus, Pin-811105, Dist-Sheikhpura को आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 14.09.2025 है।

उक्त पथ निर्माण कार्य में समानुपातिक प्रगति नहीं होने के कारण क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा संवेदक को बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधान के तहत कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया। अनुशंसा के आलोक में संवेदक से विभागीय पत्रांक 12854 दिनांक 22.12.2025 द्वारा कारणपृच्छा की गई। संवेदक द्वारा अबतक स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है।

संवेदक द्वारा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा के समक्ष दिनांक 26.12.2025 को शपथ पत्र समर्पित करते हुए प्रश्नगत पैकेज के तहत आवंटित तीनों पथों का निर्माण कार्य फरवरी, 2026 तक पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया। इसकी सूचना कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा का पत्रांक 2727 अनु0 दिनांक 30.12.2025 द्वारा मुख्यालय को उपलब्ध कराया गया।

कार्यपालक अभियंता द्वारा दिनांक 23.06.2026 को सभी पथों की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया जिसमें उल्लेखित है कि तीन पथों में से दो पथ निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है एवं एक पथ निर्माण कार्य प्रगति पर है। शपथ पत्र में फरवरी, 2026 तक कार्य पूर्ण कराने के आश्वासन के बावजूद संवेदक द्वारा अभी तक कार्य समाप्त नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा जानबुझकर कार्य पूर्ण करने में विलंब किया जा रहा है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में कार्य प्रमंडल, नवादा के अधीन शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाई0 (अवशेष) योजनान्तर्गत पैकेज संख्या–BRRP2-773-Nawada के तहत आवंटित पथ निर्माण कार्य ससमय पूर्ण नहीं कराने के कारण बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) की उपकंडिका (vi) एवं 11(ख)(ii) में निहित प्रावधान के तहत संवेदक Anand Kumar(Regd. No-1210431), S/O-Sri Anil Kumar, Vill-Mapho, Near Shiv Temple, P.S.-Mehus, Pin-811105, Dist-Sheikhpura को 10(दस) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

10/07/2026

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–14 / अ0प्र0–14–100 / 2026 5466 / पटना, दिनांकः– 13-7-26

प्रतिलिपिः–Anand Kumar(Regd. No-1210431), S/O-Sri Anil Kumar, Vill-Mapho, Near Shiv Temple, P.S.-Mehus, Pin-811105, Dist-Sheikhpura को सूचनार्थ प्रेषित।

10/07/2026

अभियंता प्रमुख

P.T.O.

1646

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–310/2025 9400 /पटना, दिनांकः– 13.7.20

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/07/2026

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–310/2025 9400 /पटना, दिनांकः– 13.7.20

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/07/2026

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–310/2025 9400 /पटना, दिनांकः– 13.7.20

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/07/2026

अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

सकारण आदेश संख्या--14 / अ0प्र0--01--21 / 2023 9503 / पटना, दिनांक-- 14-7-26

संवेदक **Shiva Enterprises Pro Rashmi Kumari (Reg. No. 1250149), Add:- Said Nagar Near K K Lal School Laheriasarai Darbhanga Bihar Pincode: 846001** द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (सामान्य) अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, झंझारपुर के अधीन Part-A PMGSY Road to Bhelahi Tola, Part B- Construction of RCC Bridge Spam 4X14.5m in PMGSY Road to Bhelahi Tol at Ch. 600m (Tender ID-122216) (BID No. 526756) योजना के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य के निविदा में Tools & Plants से संबंधित जाली Affidavit समर्पित किये जाने के कारण उक्त संवेदक के निबंधन संख्या को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त अनुशसां के आलोक में विभागीय पत्रांक 3097 अनु0 दिनांक 12.06.2023 द्वारा उक्त संवेदक **Shiva Enterprises Pro Rashmi Kumari** स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

संवेदक द्वारा अपने स्पष्टीकरण में निविदा में समर्पित कागजात को सही बताते हुए प्रतिवेदित आरोप से इन्कार किया गया है।

संवेदक के स्पष्टीकरण पर मुख्य अभियंता--06 (दरभंगा) द्वारा मंतव्य दिया गया कि संवेदक द्वारा जाली अनुभव प्रमाण पत्र एवं शपथ--पत्र अपलोड किये जाने के कारण तकनीकी बीड में अयोग्य किया गया, इससे स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा संदर्भित निविदा में समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र एवं Tools & Plants से संबंधित शपथ--पत्र फर्जी है।

उक्त मंतव्य से स्पष्ट है कि संवेदक का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या--8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (ix) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक **Shiva Enterprises Pro Rashmi Kumari (Reg. No. 1250149), Add:- Said Nagar Near K K Lal School Laheriasarai Darbhanga Bihar Pincode: 846001** के निबंधन संख्या:--**1250149**, PAN No. GLFPK7224G को 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक--14 / अ0प्र0--01--21 / 2023 9503 / पटना, दिनांक-- 14-7-26

प्रतिलिपि-- संवेदक **Shiva Enterprises Pro Rashmi Kumari (Reg. No. 1250149), Add:- Said Nagar Near K K Lal School Laheriasarai Darbhanga Bihar Pincode: 846001** को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

1645

ज्ञापांक--14 / अ0प्र0--01--21 / 2023 9503 / पटना, दिनांक-- 14.7.26

प्रतिलिपि--प्रधान सचिव / सचिव / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधान विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / उर्जा विभाग / कृषि विभाग, बिहार, पटना / पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना / सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी अधीक्षण अभियता / सभी कार्यपालक अभियंता / सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक--14 / अ0प्र0--01--21 / 2023 9503 / पटना, दिनांक-- 14.7.26

प्रतिलिपि-- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक--14 / अ0प्र0--01--21 / 2023 9503 / पटना, दिनांक-- 14.7.26

प्रतिलिपि-- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा--14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक--14 / अ0प्र0--01--21 / 2023 9503 / पटना, दिनांक-- 14.7.26

Website

प्रतिलिपि-- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।

अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

कम्प्यूटरीकृत अ. पंजीयन संख्या 1643
पंजीयन सं० 5925946
दिनांक 15/07/2026

सकारण आदेश संख्या–14/अ0प्र0–14–137/2026 9584 /पटना, दिनांक– 15.7.26

संवेदक Avipriyansh Cons. Pvt. Ltd.(Reg No. 2180611 Add:- At-House No-1, Gabara Par, Po+Ps- Hilsa, Dist-Nalanda, Bihar-801302 को कार्य प्रमंडल, बाढ़ के अधीन MR-3054 योजनान्तर्गत पथ 1. Special Repair of Road from Gram Badahur (Yadav Tola) to Gram Surajpur Mandir Via Karjan. 2. Sabnima To Ramnagar Daiyara. 3. Const. of Road Kanera Durau Pul Se Lakshmi Ashthan Kurmi Chak Tak. 4. NH 30 Ekdanga to Skiandra Via Masathu. . Meura to NH-31 Via Phulelpur dahshinchak Path पैकज संख्या–MR-N/19-20/BARH-01 पथ का निर्माण कार्य एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य आवंटित किया गया। पथ का कार्य प्रारम्भ की तिथि 31.07.2020 एवं कार्य समाप्ति की तिथि–30.07.2021 था।

उक्त पथ में निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी संवेदक द्वारा उक्त पथ का पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य एवं कुछ पथों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बाढ़ द्वारा उक्त पथों का पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य एवं कुछ पथों का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु कई बार नोटिस दिया गया परन्तु संवेदक द्वारा पंचवर्षीय अनुरक्षण एवं कुछ पथों का निर्माण कार्य पूर्ण कार्य पूर्ण करने में कोई अभिरूचि नहीं ली गई।

मुख्य अभियंता–01, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के पत्रांक 669 अनु0 दिनांक 05.05.2026 एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल पटना के पत्रांक 450 अनु0 दिनांक 27.04.2026 द्वारा संवेदक के निबंधन को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया।

उक्त अनुशसां के आलोक में विभागीय पत्रांक 6033 अनु0 दिनांक 15.05.2026 एवं पत्रांक 7956 दिनांक 19.06.2026 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया। निर्धारित अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे स्पष्ट होता है, कि संवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक Avipriyansh Cons. Pvt. Ltd.(Reg No. 2180611 Add:- At-House No-1, Gabara Par, Po+Ps- Hilsa, Dist-Nalanda, Bihar-801302 के निबंधन संख्याः–2180611 Class-I PAN No. AAQCA7312Q को अगले 10 (दस) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–137/2026 9584 /पटना, दिनांक– 15.7.26

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

(1642)

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–137 / 2026 9584 / पटना, दिनांक– 15-7-26

संबंधित

प्रतिलिपि– संवेदक Avipriyansh Cons. Pvt. Ltd.(Reg No. 2180611 Add:- At-House No-1, Gabara Par, Po+Ps- Hilsa, Dist-Nalanda, Bihar-801302 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–137 / 2026 9584 / पटना, दिनांक– 15-7-26

प्रतिलिपि–सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

(1641)

कम्प्यूटरीकृत
पंजीयन संख्या
क्रमांक 5925915
दिनांक 15/07/2026

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

सकारण आदेश संख्या–14/अ0प्र0–14–107/2026 9583 /पटना, दिनांक– 15.7.26

संवेदक Ajay Kumar Rai, (Reg No. 963/2013-I, 2210353/2021-II) Add:- At-S/O Lachhan Ray, Bhalawhiya P.O- M.Kuwari, Manrar, Saran, Bihar Pincode:-841219 को कार्य प्रमंडल, सोनपुर के अधीन PMGSY-01 योजनान्तर्गत पथ Mirjapur to Garibpatti पैकज संख्या–BR-09R-459 पथ का निर्माण कार्य एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य आवंटित किया गया। पथ का कार्य प्रारम्भ की तिथि 06.01.2019 एवं कार्य समाप्ति की तिथि–05.01.2019

उक्त पथ में निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी संवेदक द्वारा उक्त पथ का पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सोनपुर द्वारा उक्त पथों का पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य करने हेतु कई बार नोटिस दिया गया परन्तु संवेदक द्वारा पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य पूर्ण करने में कोई अभिरूचि नहीं ली गई।

मुख्य अभियंता–01, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के पत्रांक 379 अनु0 दिनांक 13.03.2026, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल छपरा के पत्रांक 159 अनु0 दिनांक 06.03.2026 एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सोनपुर द्वारा संवेदक के निबंधन को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया।

उक्त अनुशसां के आलोक में विभागीय पत्रांक 4219 अनु0 दिनांक 06.04.2026 एवं पत्रांक 5414 दिनांक 04.05.2026 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए प्रतिवेदित आरोप के संबंध में अनुरक्षण कार्य पूर्ण किए जाने के बात प्रतिवेदित की गई। साथ ही संवेदक द्वारा प्रतिवेदित आरोप से इंकार किया गया।

संवेदक के स्पष्टीकरण पर कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल सोनपुर का मंतव्य में उल्लेखित है कि संवेदक द्वारा कराये गए कार्य असंतोषप्रद है तथा संवेदक को कई बार स्मार दिये जाने के बावजूद भी सुधारात्मक कार्य संवदेक द्वारा नहीं कराया गया।

संवेदक के स्पष्टीकरण पर कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल सोनपुर का मंतव्य से स्पष्ट है कि संवेदक का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

अतएव समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक Ajay Kumar Rai, (Reg No. 963/2013-I, 2210353/2021-II) Add:- At-S/O Lachhan Ray, Bhalawhiya P.O- M.Kuwari, Manrar, Saran, Bihar Pincode:-841219 के निबंधन संख्या:–963/2013-I, 2210353/2021-II PAN No.-ANIPR8315C को अगले 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

15/07/2026
(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

क0प0उ0

1640

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–107/2026 9583 /पटना, दिनांक– 15.7.2

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

निबंधित

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–107/2026 9583 /पटना, दिनांक– 15.7.26

प्रतिलिपि– संवेदक Ajay Kumar Rai, (Reg No. 963/2013-I, 2210353/2021-II) Add:- At-S/O Lachhan Ray, Bhalawhiya P.O- M.Kuwari, Manrar, Saran, Bihar Pincode:- 841219 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–107/2026 9583 /पटना, दिनांक–15.7.26

प्रतिलिपि–सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

सकारण आदेश संख्या--14 / अ0प्र0–14–121 / 2026 9504 / पटना, दिनांक– 14-7-26

संवेदक M/S Rudra Enterprises (Reg. No.1180138), Add:- At-Vill- Belbanwa, P.O-Thana-Motihari, Dist-East Champaran, Bihar Pincode-845401 द्वारा PMGSY योजनान्तर्गत T02 खैरवादर्प NH रोड से परदेशिया उर्फ मधुबनी पथ (पैकेज संख्या:–BR32P3R05) का अनुरक्षण कार्य ससमय नहीं किये जाने के कारण उक्त पथ के एकरारनामा को विखंडन के पश्चात क्षेत्रीय अभियंताओ द्वारा इनके निबंधन संख्या को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 5138 अनु0 दिनांक 29.04.2026 एवं पत्रांक 6465 दिनांक 26.05.2026 द्वारा उक्त संवेदक M/S Rudra Enterprises (Reg. No.1180138) को स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

संवेदक द्वारा अपने स्पष्टीकरण में प्रतिवेदित आरोप के संबंध में अनुरक्षण कार्य पूर्ण किए जाने की बात प्रतिवेदित की गई है। साथ ही संदर्भित पथ का प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के हाफ का अनुरक्षण करने की भी बात कही गयी है।

OMMAS/EMARG के अनुसार First Year 1st half का चार एवं Second Year 2nd half का दो महीने का अनुरक्षण नहीं किया गया है।

तदालोक में समीक्षोपरांत संवेदक के स्पष्टीकरण को अमान्य किया गया।

अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या--8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (ix) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक M/S Rudra Enterprises (Reg. No.1180138), Add:- At-Vill-Belbanwa, P.O-Thana-Motihari, Dist-East Champaran, Bihar Pincode-845401 के निबंधन संख्या–1180138, PAN No. AAMFR9132J को 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–121 / 2026 9504 / पटना, दिनांक– 14-7-26

प्रतिलिपि-- संवेदक M/S Rudra Enterprises (Reg. No.1180138), Add:- At-Belbanwa, P.O-Motihari, P.S-Motihari,Dist-East Champaran, Bihar Pincode-845401 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0--14--121 / 2026 9504 / पटना, दिनांक– 14-7-26

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव / सचिव / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधान विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / उर्जा विभाग / कृषि विभाग, बिहार, पटना / पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना / सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी अधीक्षण अभियता / सभी कार्यपालक अभियंता / सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

P.T.C

(1690)

1698

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–121 / 2026 9504 / पटना, दिनांक– 14-7-26

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–121 / 2026 9504 / पटना, दिनांक– 14-7-26

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–121 / 2026 9504 14-7-26

ebsite

/ पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।

अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

सकारण आदेश

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा के अधीन शीर्ष नई अनुरक्षण नीति, 2018 योजनान्तर्गत **SH Road to Bhagwatipur** पथ का अनुरक्षण एवं मरम्मती का कार्य नहीं किए जाने के कारण क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा संवेदक **Shree Amrit Raj (Reg. No- 2190511) S/O-Sushil Singh, Maharaja Hata, Katira Ara Dist- Bhojpur, Bihar, Pincode-802301** के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाई किए जाने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराई गई।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 6337, अनु0 दिनांक 22.05.2026 एवं 7959 अनु0, दिनांक 19.06.2026 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किए जाने हेतु निदेशित किया गया।

निर्धारित अवधि बीत जाने पर भी संवेदक का स्पष्टीकरण अप्राप्त है, स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने से स्पष्ट है कि संवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है

उपर्युक्त सम्यक विचारोपरान्त संवेदक **Shree Amrit Raj (Reg. No- 2190511) S/O-Sushil Singh, Maharaja Hata, Katira Ara Dist- Bhojpur, Bihar, Pincode-802301** को बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क) (vi) एवं 11(ख) (ii) में विहित प्रावधान के तहत निबंधन संख्या–2190511 एवं PAN NO-AUJPR2062G को अगले 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(सुधीर कुमार)

अभियंता प्रमुख

निबंधित / ईमेल

ज्ञापांकः–14 / अ0प्र0–14–146 / 2026 8376 / पटना, दिनांकः– 30/6/26

प्रतिलिपिः–संवेदक **Shree Amrit Raj (Reg. No- 2190511) S/O- Sushil Singh, Maharaja Hata, Katira Ara Dist- Bhojpur, Bihar, Pincode-802301** को सूचनार्थ।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः– 14 / अ0प्र0–14–146 / 2026 8376 / पटना, दिनांकः– 30/6/26

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ ~~निर्माण~~ विभाग, / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / योजना एवं विकास विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास एवं आवास विभाग / उर्जा विभाग / कृषि विभाग / पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

1636

ज्ञापांकः– 14/अ0प्र0–14–146/2026 8376 /पटना, दिनांकः– 30/6/26

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.06.2026

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः– 14/अ0प्र0–14–146/2026 8376 /पटना, दिनांकः– 30/6/26

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.06.2026

अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
<u>सकारण आदेश</u>

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पालीगंज के अधीन शीर्ष MR-3054 योजनान्तर्गत चिहुटा PMGSY रोड से खड़गपुरा एवं बिक्रम कनपा रोड से बजीरपुर रोड पथ निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने तथा प्राक्कलन में निहित विशिष्टयों के अनुरूप सड़क निर्माण का कार्य नहीं कराये जाने के संबंध में निगरानी विभाग द्वारा पथ की जांच तकनीकी परीक्षक कोषांग से कराकर जांच प्रतिवेदन में पाई गई अनियमितता के लिए **संवेदक Swift Engicon. Pvt. Ltd. (Regd. No.-2211074)**, Pharmacautical Colony, Jayprakash Nagar, Kankarbagh, Patna, Bihar, Pincode-800026 के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाई किए जाने हेतु विभागीय पत्रांक 2132, दिनांक 30.04.2026 द्वारा अनुशंसा उपलब्ध कराई गई।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 6336, अनु0 दिनांक 22.05.2026 एवं 7722 अनु0, दिनांक 17.06.2026 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किए जाने हेतु निदेशित किया गया।

संवेदक द्वारा दिनांक 15.06.2026 को अपना स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि निर्माण कार्य के दौरान विभागीय पदाधिकारियां द्वारा कभी भी समाग्री के गुणवत्ता पर सवाल नहीं उठाया गया। साथ ही जांच प्रतिवेदन के साथ भौतिक साक्ष्य नहीं रहने की बात कही गयी है।

अतएव विभागीय समीक्षोपरान्त निगरानी विभाग तकनीकी परीक्षक कोषांग के जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष स्पष्ट अंकित है कि ढलाई कार्य में घटिया समागी का उपयोग हुआ है तथा गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है। संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

उपर्युक्त सम्यक विचारोपरान्त **संवेदक Swift Engicon. Pvt. Ltd. (Regd. No.-2211074)**, Pharmacautical Colony, Jayprakash Nagar, Kankarbagh, Patna, Bihar, Pincode-800026 को बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क) (vi) एंव 11(ख) (i) में विहित प्रावधान के तहत निबंधन संख्या--2211074 एंव PAN NO-AAVCS2727A को अगले 10 (दस) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

निबंधित / ईमेल

ज्ञापांकः--14 / अ0प्र0--14--135 / 2026 8378 / पटना, दिनांकः-- 30/6/26

प्रतिलिपिः--**संवेदक Swift Engicon. Pvt. Ltd. (Regd. No.-2211074)**, Pharmacautical Colony, Jayprakash Nagar, Kankarbagh, Patna, Bihar, Pincode-800026 को सूचनार्थ।

अभियंता प्रमुख

P.T.O

1634

ज्ञापांकः– 14/अ0प्र0–14–135/2026 8378

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग /जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। /पटना, दिनांकः– 30/6/26

30/06/2026

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः– 14/अ0प्र0–14–135/2026 8378

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। /पटना, दिनांकः– 30/6/26

30/06/2026

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः– 14/अ0प्र0–14–135/2026 8378

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। /पटना, दिनांकः– 30/6/26

30/06/2026

अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

सकारण आदेश संख्या–14/अ0प्र0–14–170/2025 9146 /पटना, दिनांक– 8.7.26

संवेदक Radhika Construction Co (Reg. No. 1220088/1180211), Add:- At-Radhika Construction, Vill +P.O- Chauradano, East Champaran, Bihar Pincode: 845302 द्वारा MMGSY (NDB) योजनान्तर्गत कार्य प्रमंडल, रक्सौल के अधीन निविदा संख्या 135233 में पार्टनशीप डीड/Payement Certificate & Audit Report गलत/फर्जी संलग्न किये जाने के कारण कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, राक्सौल के पत्रांक 844 अनु0 दिनांक 03.06.2025 द्वारा उक्त संवेदक के निबंधन संख्या को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त अनुशसां के आलोक में विभागीय पत्रांक 8518 अनु0 दिनांक 05.08.2025 एवं पत्रांक 12861 दिनांक 22.12.2025 द्वारा उक्त संवेदक Radhika Construction Co (Reg. No. 1220088) को स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

संवेदक द्वारा अपने स्पष्टीकरण में निविदा में समर्पित कागजात को सही बताते हुए प्रतिवेदित आरोप से इन्कार किया गया है।

संवेदक के स्पष्टीकरण पर नोडल पदाधिकारी MMGSY द्वारा मंतव्य दिया गया कि निविदाकार Radhika Construction Co द्वारा कार्य प्रमंडल, रक्सौल के अधीन टेंडर आई0डी0 संख्या–135233 में संलग्न किये गये कागजातों की भी समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि इनके द्वारा निविदा में सलंग्न किये गये अभिलेख में वित्तीय वर्ष 2022–23 का कार्य प्रमंडल, अरेराज के अधीन Payement Certificate सलग्न किया गया है, जो Paramba Construction Pvt. Ltd को निर्गत है।

उक्त तथ्य से स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा संदर्भित निविदा में समर्पित Payement Certificate फर्जी है।

संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं है।

अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (ix) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक Radhika Construction Co (Reg. No. 1220088/1180211), Add:- At-Radhika Construction, Vill +P.O- Chauradano, East Champaran, Bihar Pincode: 845302 के निबंधन संख्याः–1220088/1180211, PAN No. AALFR7003D को 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–170/2025 9146 /पटना, दिनांक– 8.7.26

प्रतिलिपि– संवेदक Radhika Construction Co (Reg. No. 1220088), Add:- At-Radhika Construction, Vill +P.O- Chauradano, East Champaran, Bihar Pincode: 845302 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

P.T.O

(1632)

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–170/2025 9148

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/पटना, दिनांक– 8.7.26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–170/2025 9148

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

/पटना, दिनांक– 8.7.26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–170/2025 9148

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/पटना, दिनांक– 8.7.26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–170/2025 9148

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।

/पटना, दिनांक– 8.7.26

Website

अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
<u>सकारण आदेश</u>

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, डुमरांव के अधीन शीर्ष MMGSY योजनान्तर्गत बेगन हाई स्कूल से पोखराहा महादलित टोला पथ में लगे ए0टी0आर0 का निराकरण, पथ में घटिया कार्य कराने और वित्तीय अनिमितता किए जाने के कारण निगरानी प्रशाखा, ग्रामीण कार्य विभाग संवेदक **Vivek Kumar Singh (Regd. No.-1200096)**, At- Club Road, D M Residence Arrah, Bhojpur, Bihar 802301 के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाई किए जाने हेतु विभागीय गै0स0प्रे0सं0 599 अनु0, दिनांक 14.05.2026 द्वारा अनुशंसा उपलब्ध कराई गई।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 6764, अनु0 दिनांक 01.06.2026 एवं 7958 अनु0, दिनांक 19.06.2026 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किए जाने हेतु निदेशित किया गया।

निर्धारित अवधि बीत जाने पर भी संवेदक का स्पष्टीकरण अप्राप्त है, स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने से स्पष्ट है कि संवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है

उपर्युक्त सम्यक विचारोपरान्त संवेदक **Vivek Kumar Singh (Regd. No.-1200096)**, At- Club Road, D M Residence Arrah, Bhojpur, Bihar 802301 को बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क) (vi) एंव 11(ख) (i) में विहित प्रावधान के तहत निबंधन संख्या–1200096 एंव PAN NO-DJUPS5291B को अगले 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

30/06/2026

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

निबंधित/ईमेल

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–142/2026 8379 /पटना, दिनांकः– 30/6/26

प्रतिलिपिः–संवेदक **Vivek Kumar Singh (Regd. No.-1200096)**, S/o- Satyendra Narayan Singh At- Club Road, D M Residence Arrah, Bhojpur, Bihar 802301 को सूचनार्थ।

30/06/2026

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः– 14/अ0प्र0–14–142/2026 8379 /पटना, दिनांकः– 30/6/26

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग,/भवन निर्माण विभाग /जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/06/2026

अभियंता प्रमुख

55

1630

ज्ञापांकः– 14 / अ0प्र0–14–142 / 2026 8379 / पटना, दिनांकः– 30/6/26

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/6/2026

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः– 14 / अ0प्र0–14–142 / 2026 8379 / पटना, दिनांकः– 30/6/26

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03 एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/6/2026

अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

सकारण आदेश

सकारण आदेश संख्या–14/अ0प्र0–14–289/2025 8159 /पटना, दिनांक-23.6.26

विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1699 अनु0 दिनांक 07.08.2023 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी–02 एवं कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी के अधीन पी0एम0जी0एस0वाई0/नाबार्ड योजनान्तर्गत उच्च स्तरीय पुल के निर्माण से संबंधित निविदाओं की निगरानी विभाग द्वारा तकनीकी परीक्षक कोषांग से जाँच कराकर जॉच प्रतिवेदन में निविदा के निष्पादन में निम्नलिखित अनियमितता पाई गई है:–

1. ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी–02 के अधीन नाबार्ड योजनान्तर्गत कमरथू गायघाट में पुल निर्माण कार्य टेंडर आई0डी0–38014 (Construction of RCC Bridge over Siyari River in between Siswa Gayaghat Kamarthu) से संबंधित निविदा कागजातों की जॉच में श्री राम स्वार्थ राय, संवेदक द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण–पत्र फर्जी पाया गया।
2. उक्त अनुभव प्रमाण–पत्र ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पूर्वी–02 अन्तर्गत सिवाईपट्टी से लौतन पथ के छठे कि0मी0 में आर0सी0सी0 उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य से संबंधित है। जॉच में जिला मुजफ्फरपुर में सिवाईपट्टी से लौतन पथ के 6 ठे कि0मी0 या पूरे पथ में काई भी RCC High Level Bridge निर्मित नहीं पाया गया अपितु RCC Slab Culvert निर्मित पाया गया।
3. उसी फर्जी अनुभव प्रमाण–पत्र के आधार पर संवेदक राम स्वार्थ राय द्वारा पी0ए0मी0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी के अधीन एल034 डुमरी कलन से डंगराहा उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य से संबंधित निविदा का आवंटन प्राप्त कर लिया गया।

अतः संवेदक राम स्वार्थ राय द्वारा फर्जी अनुभव प्रमाण–पत्र के आधार पर कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी–02 एवं कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी अन्तर्गत निविदा का आवंटन प्राप्त कर लेने के मामले में दोषी संवेदक Ram Swarath Ray (Registration No.1250140) Add:- Vill Belahi Lachchhi Bankul Po Siwaipatti Ps Minapur Dist Muzaffarpur Pincode: 84312 के विरूद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त अनुशसां के आलोक में विभागीय पत्रांक 4789 अनु0 दिनांक 20.04.2026 द्वारा संवेदक Ram Swarath Ray (Registration No.1250140) से स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसमें उक्त अनुभव प्रमाण पत्र को विभागीय कार्यालय द्वारा निर्गत बताया गया है तथा उस प्रमाण–पत्र के आधार पर कार्य नहीं मिलने की बात कहीं गई है। संवेदक द्वारा अन्य विभागीय कार्य को सही से निष्पादित करने की बात की गई है।

संवेदक का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है, क्योकि संवेदक द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उच्चस्तरीय पुल का निर्माण में संबंधित अनुभव प्रमाण–पत्र के संबंध में कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया है। संवेदक को स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं है।

1628

अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (ix) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक Ram Swarath Ray (Registration No.1250140) Add:- Vill Belahi Lachchhi Bankul Po Siwaipatti Ps Minapur Dist Muzaffarpur Pincode: 84312 के निबंधन संख्याः–1250140, PAN No. ASLPR6720R को 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–289/2025 8159 /पटना, दिनांक– 23.6.26

प्रतिलिपि– संवेदक Ram Swarath Ray (Registration No.1250140) Add:- Vill Belahi Lachchhi Bankul Po Siwaipatti Ps Minapur Dist Muzaffarpur Pincode: 84312 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–289/2025 8159 /पटना, दिनांक– 23.6.26

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–289/2025 8159 /पटना, दिनांक– 23.6.26

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–289/2025 8159 /पटना, दिनांक– 23.6.26

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–289/2025 8159 /पटना, दिनांक– 23.6.26

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।

अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ के अधीन **MMGSY** योजनान्तर्गत मथुरापुर यात्री शेड से कथोली पथ एवं बिनोदपुल से फरीदादेवी स्थान पथ की जॉच विभाग के स्तर से की गयी। जॉचोपरान्त पाया गया कि संदर्भित पथ के कार्य में गुणवत्ता निम्न कोटि रहने के कारण संवेदक **Uday Shankar Prasad (Reg. No-1190287) S/O- Prayag Narayan, House No-27, Udantpuri Garhpar, Post+Thana, Bihar Sharif, Dist- Nalanda, Bihar, Pincode: 803101** के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाई किए जाने हेतु विभागीय पत्रांक 07 अनु0, दिनांक 13.01.2026 द्वारा अनुशंसा उपलब्ध कराई गई।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 6340, अनु0 दिनांक 22.05.2026 एवं 7957 अनु0, दिनांक 19.06.2026 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किए जाने हेतु निदेशित किया गया।

निर्धारित अवधि बीत जाने पर भी संवेदक का स्पष्टीकरण अप्राप्त है, स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने से स्पष्ट है कि संवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है

उपर्युक्त सम्यक विचारोपरान्त संवेदक **Uday Shankar Prasad (Reg. No-1190287) S/O- Prayag Narayan, House No-27, Udantpuri Garhpar, Post+Thana, Bihar Sharif, Dist- Nalanda, Bihar, Pincode: 803101** को बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क) (vi) एंव 11(ख) (ii) में विहित प्रावधान के तहत निबंधन संख्या–1190287 एंव PAN NO-AFEPP3685B को अगले 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

ह0/- 30/06/2026
(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

निबंधित/ईमेल

ज्ञापांक:–14/अ0प्र0–14–138/2026 8377 /पटना, दिनांक:– 30/6/26

प्रतिलिपि:–संवेदक संवेदक **Uday Shankar Prasad (Reg. No-1190287) S/O- Prayag Narayan, House No-27, Udantpuri Garhpar, Post+Thana, Bihar Sharif, Dist- Nalanda, Bihar, Pincode: 803101** को सूचनार्थ।

ह0/- 30/06/2026
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:– 14/अ0प्र0–14–138/2026 8377 /पटना, दिनांक:– 30/6/26

प्रतिलिपि:–अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग,/भवन निर्माण विभाग /जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 30/06/2026
अभियंता प्रमुख

1626

ज्ञापांकः– 14/अ0प्र0–14–138/2026 8377 /पटना, दिनांकः– 30/6/26

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/06/26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः– 14/अ0प्र0–14–138/2026 8377 /पटना, दिनांकः–30/6/26

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/06/26

अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
<u>सकारण आदेश</u>

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, भभुआ के अधीन एम0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत पथ Datiao Imambara to Shipura Purab Tola पथ निर्माण कार्य संवेदक Ravindra Kumar Singh(Regd. No-1240562) को आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ किये जाने की तिथि 10.09.2025 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 09.09.2026 है।

प्रश्नगत पथ का निरीक्षण विभागीय सचिव महोदय द्वारा दिनांक 19.05.2026 को किया गया। निरीक्षण के दौरान एकरारनामा की शर्तों के अनुसार निम्नांकित शर्तों का पालन किया हुआ नहीं पाया गया–

1. कार्यस्थल पर प्रयोगशाला स्थापित नहीं पाया गया।
2. एकरारनामा की कंडिका के अनुसार कार्यस्थल पर यंत्र–संयंत्र नहीं पाया गया।
3. संवेदक के द्वारा एकरारनामा की General Specification की कंडिका B3(iii) का पालन नहीं किया गया।

उक्त त्रुटियों के कारण प्रश्नगत पथ के संवेदक श्री रविंद्र कुमार सिंह(निबंधन संख्या–1240562) के विरूद्ध बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधान के तहत कार्रवाई किये जाने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया।

उक्त अनुशंसा के आलोक में संवेदक के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किये जाने के पूर्व विभागीय पत्रांक 6615 अनु0 दिनांक 29.05.2026 द्वारा संवेदक से कारणपृच्छा की गई। संवेदक द्वारा दिनांक 15.06.2026 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। स्पष्टीकरण में कार्यस्थल पर प्रयोगशाला स्थापित नहीं रहने एवं कार्य स्थल पर यंत्र संयंत्र नहीं रहने के आरोप से इन्कार किया गया है। इस संबंध में दिनांक 04.05.2026 का फोटोग्राफ संलग्न किया गया है।

उल्लेखनीय है कि यदि प्रयोगशाला एवं यंत्र संयंत्र दिनांक 04.05.2026 को स्थापित थे तो दिनांक 19.05.2026 को सचिव महोदय के निरीक्षण के समय यह क्यों नहीं पाये गये?

वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा एकरारनामा की General Specification की कंडिका B(iii) का पालन करने की बात कही गई है परंतु इस संबंध में काई साक्ष्य समर्पित नहीं किया गया है। संवेदक का स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं है। सम्यक समीक्षोपरांत संवेदक के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत किया जाता है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में कार्य प्रमंडल, भभुआ के अधीन एम0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत पथ में एकरारनामा की शर्त्तों का पालन नहीं किये जाने के कारण बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) में विहित प्रावधान के आलोक में संवेदक Ravindra Kumar Singh(Regd. No-1240562), At-Vill-Sakhuan, ward no-10, PO-Panjar, PS-Karghar, Dist-Rohtas, Pin-802215 को 10(दस) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

P.T.O.

1624

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–162/2026 8180 /पटना, दिनांकः– 23.06.2

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

निबंधित

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–162/2026 8180 /पटना, दिनांकः– 23.06.2026

प्रतिलिपिः–Ravindra Kumar Singh(Regd. No-1240562), At-Vill-Sakhuan, ward no-10, PO-Panjar, PS-Karghar, Dist-Rohtas, Pin-802215 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–162/2026 8180 /पटना, दिनांकः– 23.06.2026

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–162/2026 8180 /पटना, दिनांकः 23.06.2026

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

संवेदक NK Bharti Construction (Registration No. 1210027) Add:- At-Rajendra Nagar Madhubani, Dist-Purnea, Pincode 854301 के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक– 6708 दिनांक 01.06.2026 द्वारा अगले 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत किये जाने के विरुद्ध दिनांक 06.06.2026 को समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संबंध

22/07/2026

आदेश

याचिकाकर्त्ता/संवेदक NK Bharti Construction (Registration No. 1210027) Add:- At-Rajendra Nagar Madhubani, Dist-Purnea, Pincode 854301 एवं विभाग की ओर से सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ उपस्थित।

प्रस्तुत मामला मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नय (MMGSUY) योजनान्तर्गत कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ के अधीन निविदा संख्याः–143020 एवं 143024 निविदाकार/संवेदक N K Bharti Construction Prop Bharti Kumari (L1) द्वारा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ द्वारा निर्गत LOA के 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर Performance Security जमा नहीं करने एवं निर्धारित अवधि में एकरारनामा नहीं किये जाने के कारण विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक–6708 दिनांक 01.06.2026 द्वारा अगले 10 (दस) वर्षो के लिए कालीकृत किये जाने से संबंधित है।

संवेदक द्वारा सुनवाई में बताया गया कि निविदा डालने वाले के द्वारा संदर्भित दोनों निविदा के वित्तीय बीड में –1.99 के स्थान पर –19.99 कम दर अंकित कर दिया गया है। इतना कम दर पर ये कार्य करने में सक्षम नहीं हैं, जिसके कारण एकरारनामा नहीं किया गया।

निविदा के वित्तीय बीड में दर अंकित करने के लिए संवेदक ही जिम्मेदार होते हैं एवं उक्त आधार पर ही एकरारनामा किया जाना प्रावधानित है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि दोनो कार्य आवंटन के पश्चात संवेदक द्वारा निर्धारित समय के अन्दर एकरारनामा नहीं किया जाना बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 का उल्लंघन है।

बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की कंडिका– 11(क) (v) एवं 11 (ख) (i) में *"एक से अधिक बार कार्य आवंटित होने पर निश्चित अवधि तक एकरारनामा नहीं करना"* के आलोक में अधिकतम दो वर्षो के लिए निलंबित किये जाने का प्रावधान है।

अतएव याचिकाकर्त्ता/संवेदक द्वारा कालीकृत आदेश के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक 6708 दिनांक 01.06.2026 द्वारा अगले 10 (दस) वर्षो के लिए की गयी कालीकरण (Blacklist) के दंड को संशोधित करते हुए बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (v) एवं 11 (ख) (i) में वर्णित प्रावधानों के आलोक में संवेदक N K Bharti Construction Prop Bharti Kumari (Registration No. 1210027) Add:- Rajendra Nagar Madhubani, Dist- Purnea Pincode: 854301 के निबंधन संख्याः–1210027, PAN No.CIBPK9087Q को अगले 02 (दो) वर्षो के लिए निलंबित किया जाता है।

तदनुसार वाद निष्पादित।

22/7/26

(अभय कुमार सिंह)

सचिव

1622

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–71/2026 10361

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। /पटना, दिनांक– 5.8.26

ह0/- 05.08.2026

(प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल')

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–71/2026 10361 /पटना, दिनांक– 5.8.26

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 05.08.2026

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–71/2026 10361 /पटना, दिनांक– 5.8.26

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 05.08.2026

सरकार के उप सचिव

निबंधित

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–71/2026 10361 /पटना, दिनांक– 5.8.26

प्रतिलिपि– संवेदक N K Bharti Construction Prop Bharti Kumari (Registration No. 1210027) Add:- Rajendra Nagar Madhubani, Dist- Purnea Pincode: 854301 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 05.08.2026

सरकार के उप सचिव

Website

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–71/2026 10361 /पटना, दिनांक– 5.8.26

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।

ह0/- 05.08.2026

सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

सकारण आदेश संख्या--14 / अ0प्र0--14--180 / 2026 10409 /पटना, दिनांक-- 6.8.26

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मधेपुरा के अधीन MMGSY Rupauli Pakki Road to Kataeya Purab Tola Hokar Singheswar College Pakki Path पथ की जाँच आंतरिक विभागीय निगरानी द्वारा की गयी, जिसमें संदर्भित पथ में कराये गये कार्य के विभिन्न अव्ययों का औसतन मुटाई प्रावधानित मुटाई के अनुरूप पाया गया। MSS (कालीकरण), में Bitumen Content की मात्रा, GSB Grading-I एवं WBM Grading-III की Gradation की जाँच हेतु नमुना सहायक अभियंता जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, मधेपुरा के द्वारा संग्रहित किया गया। जाँचफल अनुज्ञेय सीमा के अन्तर्गत पाया गया। आरोप प्रमाणित पाया गया।

तद्लोक में संवेदक Dharmraj Construction Prop:- Mohan Mandal, (Reg. No. 2191288) Add:- At Ward No. 10 College Chowk, Dist-Mahepura, Pincode:-852113 द्वारा संदर्भित पथ में अनुरक्षण कार्य समुचित ढंग से नहीं किये जाने के कारण उक्त संवेदक को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 7815 दिनांक 19.06.2026 एवं पत्रांक 9358 दिनांक 10.07.2026 द्वारा संवेदक Dharmraj Construction Prop:- Mohan Mandal, (Reg. No. 2191288) से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जो अब तक अप्राप्त है। इससे स्पष्ट होता है, कि संवेदक को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या--8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में Dharmraj Construction Prop:- Mohan Mandal, (Reg. No. 2191288) Add:- At Ward No. 10 College Chowk, Dist-Mahepura, Pincode:-852113 के निबंधन संख्या:-- 2191288, PAN No. CAFPM6328A को 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक--14 / अ0प्र0--14--180 / 2026 10409 /पटना, दिनांक-- 6.8.26

प्रतिलिपि-- संवेदक Dharmraj Construction Prop:- Mohan Mandal, (Reg. No. 2191288) Add:- At Ward No. 10 College Chowk, Dist-Mahepura, Pincode:-852113 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक--14 / अ0प्र0--14--180 / 2026 10409 /पटना, दिनांक-- 6.8.26

प्रतिलिपि-- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता / सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

1620

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–180/2026 10409

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। /पटना, दिनांक– 6.8.26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–180/2026 10409

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। /पटना, दिनांक– 6.8.26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–180/2026 10409

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। /पटना, दिनांक– 6.8.26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–180/2026 10409

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय। /पटना, दिनांक– 6.8.26

अभियंता प्रमुख

ebsite

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संवेदक Sahishnu Construction Pvt. Ltd, (Reg- No- 1240340), पता-- पिता-- श्री अनिकेत शर्मा, ग्राम मोर पार्ट ईन घोसवारी टोला पूर्वी, पंच मोड़ पूर्वी, मोकामा, पटना, बिहार, पिनकोड0--803302 के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक 3547 दिनांक 19.03.2026 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत किये जाने के विरूद्ध दिनांक 24.03.2026 को समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में।

29/07/2026

आदेश

याचिकाकर्ता/संवेदक Sahishnu Construction Pvt. Ltd की ओर से आशिष कुमार एवं विभाग की ओर से कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बाढ़ उपस्थित।

प्रस्तुत मामला कार्य प्रमंडल, बाढ़ के अधीन एम0एम0जी0एस0यु0वाई0 योजनान्तर्गत आमंत्रित निविदा (टेन्डर आई0डी0—144458) में फर्जी ATO समर्पित करने के कारण बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के तहत संवेदक Sahishnu Construction Pvt. Ltd के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 3547 दिनांक 19.03.2026 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने से संबंधित है।

उक्त कालीकरण आदेश के विरूद्ध संवेदक द्वारा दिनांक 24.03.2026 को अपील अभ्यावेदन समर्पित करते हुए कालीसूची से मुक्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

संवेदक द्वारा सुवाई के क्रम में सदर्भित निविदा में फर्जी कागजात समर्पित किये जाने के संबंध में क्षमायाचना करते हुए तथा इसकी पुनरावृत्ति नहीं किये जाने का आश्वासन दिया गया।

उनके उपरोक्त एवं वर्णित तथ्यों के स्वीकारोक्ति के आलोक में संवेदक Sahishnu Construction Pvt. Ltd, (Reg- No- 1240340) द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 3547 दिनांक 19.03.2026 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने के आदेश को यथावत रखा जाता है।

तदनुसार वाद निष्पादित।

29/7/26
(अभय कुमार सिंह)
सचिव

ज्ञापांक:—14 / अ0प्र0—14—20 / 2026 10380 / पटना, दिनांक 5-8-26

निबंधित

प्रतिलिपि: संवेदक Sahishnu Construction Pvt. LtdAdd:- C/O Sri Aniket Sharma, Vill-Mor Part in Ghoswari Tola East, Panch More East, Mokama, Patna, Bihar, Pincode 803302 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

05-08-2026
(प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल')
सरकार के उप सचिव

(1618)

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–20/2026 10360 /पटना, दिनांक– 5-8-26

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05.08.2026

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–20/2026 10360 /पटना, दिनांक– 5-8-26

प्रतिलिपि– सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05.08.2026

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–20/2026 10360 /पटना, दिनांक– 5-8-26

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

05.08.2026

सरकार के उप सचिव

Website

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–20/2026 10360 /पटना, दिनांक– 5-8-26

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05.08.2026

सरकार के उप सचिव

आ0सं0:–भवन–13 / अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन / कालीकृत–07 / 2026.............................दिनाक–

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

आदेश

राज्य स्कीम मद से बांका जिलान्तर्गत 100 आसन वाले राजकीय आवासीय कल्याण बालक छात्रावास, पी0बी0एस0 कॉलेज बांका के निर्माण कार्य की प्रकाशित निविदा में गलत कागजात समर्पित किये जाने के कारण संवेदक, Kumar Gaurav, Milan Para, Station Road, Khuskibagh, Purnea East, Purnea-854305 को दोषी मानते हुए मुख्य अभियंता(दक्षिण) का पत्रांक–102(अनु०) दिनांक–07.01.2026 द्वारा इनके विरूद्ध बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली–2007 के तहत् कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में आयोजित संवेदको के निलंबन / कालीकरण दिनांक–17.02.2026 को हुई बैठक में समिति द्वारा उक्त मामले में संवेदक, संवेदक, Kumar Gaurav, Milan Para, Station Road, Khuskibagh, Purnea East, Purnea-854305 से स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया। तदालोक में विभागीय पत्रांक–2539(भ) दिनांक–13.03.2026 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी । पत्र वापस ।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में आयोजित संवेदको के निलंबन / कालीकरण दिनांक–19.03.2026 को हुई बैठक में समिति द्वारा संवेदक को स्मार पत्र देने का निर्णय लिया गया। तदालोक में विभागीय पत्रांक–3080(भ) दिनांक–30.03.2026 द्वारा स्मारित किया गया। पत्र वापस ।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में आयोजित संवेदको के निलंबन / कालीकरण संबंधित बैठक दिनांक–28.04.2026 को हुई बैठक में समिति द्वारा संवेदक को अंतिम बार स्मारित करते हुए प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी सूचित करने का निर्णय लिया गया । तदालोक में विभागीय पत्रांक–4259(भ) दिनांक–12.05.2026 एव पत्रांक–4437(भ)अनु० दिनांक–18.05.2026 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया एवं विभिन्न समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी । संवेदक का स्पष्टीकरण का जवाब प्राप्त ।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में आयोजित संवेदको के निलंबन / कालीकरण संबंधित बैठक दिनांक–07.07.2026 को हुई बैठक में समिति द्वारा संवेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत संवेदक के निबंधन को एक वर्षो के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया।

अतः संवेदक, Kumar Gaurav, Milan Para, Station Road, Khuskibagh, Purnea East, Purnea-854305 (Reg.No.-BCD-1240027 Class-I) को आदेश निर्गत होने की तिथि से एक वर्षो के लिए निलंबित किया जाता हैं ।

ह0 / –

(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–भवन–13 / अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन / कालीकृत–07 / 2026......................... पटना,दिनांक–

स्पीडपोस्ट

प्रतिलिपिः–संवेदक, Kumar Gaurav, Milan Para, Station Road, Khuskibagh, Purnea East, Purnea-854305 (Reg.No.-BCD-1240027 Class-I) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–भवन–13 / अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन / कालीकृत–07 / 2026......6612(अ)/पटना,दिनांक– 17/7/

प्रतिलिपिः–सचिव के वरीय आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग / पथ निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / ऊर्जा विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / प्रबंध निदेशक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना / मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना / सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता,भवन निर्माण विभाग / मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग / मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16.7.26

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

कम्प्यूटरीकृत आवक
पंजीयन संख्या
पत्र सं0- 5978444
दिनांक- 24/07/2026

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0- प्र0-3/ल0ज0सं0(अपील)-55/2026

विषयः- संवेदक मेसर्स न्यासा इंटरप्राईजेज (प्रो0- श्री हरेन्द्र कुमार, निबंधन सं0-MWRD0621C2PR2089) पता- रिकाबगंज टेकारी, जिला-गया, पिन कोड-824236 का अपील अभ्यावेदन के संबंध में ।

आदेश

संवेदक मेसर्स न्यासा इंटरप्राईजेज (प्रो0- श्री हरेन्द्र कुमार, निबंधन सं0-MWRD0621C2PR2089), पता- रिकाबगंज टेकारी, जिला-गया, पिन कोड-824236 को मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0), लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आदेश संख्या-46 सह-पठित ज्ञापांक-688 दिनांक-06.05.2026 द्वारा बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 में निहित प्रावधान के तहत अगले 10 वर्षों के लिए कालीकृत कर दिया गया, जिसके विरूद्ध उनके द्वारा अपील अभ्यावेदन दिनांक-18.05.2026 को समर्पित किया गया ।

2. लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं0-14/2021-22 के ग्रुप सं0-05 जुझारपुर पईन योजना का जीर्णोद्धार कार्य की तकनीकी निविदा में संवेदक श्री हरेन्द्र कुमार, मेसर्स न्यासा इन्टरप्राईजेज द्वारा संलग्न किये गये डोजर मशीन का अभिलेख फर्जी पाये जाने के कारण संवेदक को कालीकृत किये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना द्वारा मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0) लघु जल संसाधन विभाग, पटना को उपलब्ध कराया गया । तदालोक में मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0) लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक-332 दिनांक-20.04.2023 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा की गयी, जिसके विरूद्ध संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना मे समादेश वाद सं0-7195/2023 मेसर्स न्यासा इन्टरप्राईजेज बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया ।

3. उक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-15.05.2023 को न्यायादेश पारित कर उक्त वाद को समादेश याचिका सं0-4726/2023 के समरूप मानते हुये, तत्कालीन निबंधन पदाधिकारी-सह-मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0) लघु जल संसाधन विभाग, पटना को संवेदकों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार नही मानते हुए मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0) लघु जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा किये गये कारण पृच्छा को निरस्त कर दिया गया ।

4. समरूप मामला समादेश याचिका सं0-4726/2023 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-20.04.2023 के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका सं0-26443/2023 दायर किया गया । उक्त विशेष अनुमति याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-08.01.2024 को अन्तरिम आदेश पारित कर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगा दिया गया ।

5. तदोपरांत अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक-528 दिनांक-30.04.2024 द्वारा संवेदक से पुनः कारण पृच्छा की गयी । संवेदक का जबाव अप्राप्त रहने की स्थिति में मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0) लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक-219 दिनांक-20.03.2025 द्वारा संवेदक को स्मारित किया गया, जिसके उपरांत संवेदक के पत्रांक-शून्य दिनांक-01.04.2025 द्वारा डोजर के कागजात को फर्जी पाये जाने हेतु किये गये जाँच प्रतिवेदन की पूर्ण प्रक्रियावार प्रति उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया ।

6. मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0) लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक-668 दिनांक-21.07.2025 द्वारा वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना को निदेशित किया गया, जिसके आलोक में मुख्य अभियता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक-360 दिनांक-20.02.2026 एवं कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना के पत्रांक-557 दिनांक- 28.02.2026 एवं पत्रांक-344 दिनांक-03.04.2026 द्वारा डोजर मशीन के अभिलेख की जाँच से संबंधित अभिलेख मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0) लघु जल संसाधन विभाग, पटना को उपलब्ध कराया गया ।

7. मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0) लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक-433 दिनांक-20.03.2026 द्वारा वांछित कागजात संवेदक श्री हरेन्द्र कुमार को उपलब्ध कराते हुये कारण पृच्छा का जबाव एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया, जिसके विरूद्ध संवेदक द्वारा एक अन्य समादेश वाद सं0-7668/2026 दायर किया गया है । संवेदक का जबाव अप्राप्त रहने की स्थिति में मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0) कार्यालय के पत्रांक-555 दिनांक-13.04.2026 द्वारा संवेदक को अपना पक्ष रखने हेतु अंतिम रूप से स्मारित किया गया ।

1614

8. संवेदक का जवाब अप्राप्त रहने के कारण मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0) लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आदेश ज्ञापांक-688 दिनांक-06.05.2026 द्वारा संवेदक मेसर्स न्यासा इन्टरप्राइजेज को ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 में निहित प्रावधान के तहत अगले 10 वर्षों के लिए कालीकृत कर दिया गया ।

9. संवेदक द्वारा दायर समादेश वाद सं0-7668/2026 मेसर्स न्यासा इंटरप्राईजेज बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-25.06.2026 को न्यायादेश पारित करते हुए कतिपय निदेश के साथ वाद को निष्पादित कर दिया गया है । उक्त न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है -

"At the outset, the learned counsel for the petitioner submits that during the pendency of the present writ petition, the blacklisting order has been passed by the respondents qua the petitioner herein, which has been challenged by the petitioner by filing an appeal before the Principal Secretary, Minor Irrigation Department, Government of Bihar, Patna, hence, the same be directed to be disposed of expeditiously.

The learned counsel for the respondents submits that if it is true that the petitioner has filed an appeal, the same would definitely be disposed of by the Principal Secretary, Minor Irrigation Department, Government of Bihar, Patna within a period of six weeks from today. It is directed accordingly.

The present writ petition stands disposed of on the aforesaid term."

10. उक्त न्यायादेश के आलोक में संवेदक श्री हरेन्द्र कुमार द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन पर दिनांक-17.07.2026 को सुनवाई की गयी, जिसमें अपीलकर्ता एवं मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0), लघु जल संसाधन विभाग, पटना व्यक्तिशः रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें ।

11. मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0), लघु जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा बताया गया कि उक्त निविदा में डोजर मशीन के अभिलेख की आवश्यकता नहीं थी परन्तु निविदा में फर्जी अभिलेख संलग्न किया जाना आपराधिक कृत्य के साथ-साथ निविदा शर्तों का उल्लंघन है ।

12. सुनवाई के क्रम में अपीलकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया कि निविदा में संलग्न डोजर मशीन का विपत्र फर्जी है परन्तु उक्त योजना की निविदा में डोजर मशीन की मांग नहीं की गयी थी । साईबर कैफे द्वारा भूलवश अपलोड कर दिया गया है । संवेदक द्वारा समर्पित शपथ-पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि - ''मेरे द्वारा भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृति नहीं की जायेगी एवं भविष्य में कोई अन्य मामला मेरे विरूद्ध पाये जाने पर मुझे बिना किसी स्पष्टीकरण के काली सूची में डाल दिया जाय ।''

अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0), लघु जल संसाधन विभाग, पटना के कार्यालय आदेश सं0-46 सह-पठित ज्ञापांक-668 दिनांक-06.05.2026 को निरस्त/रद्द करते हुए अपीलकर्ता संवेदक मेसर्स न्यासा इंटरप्राईजेज (प्रो0- श्री हरेन्द्र कुमार, निबंधन सं0-MWRD0621C2PR2089), पता-रिकाबगंज ठेकारी, जिला-गया, पिन कोड-824236 को इस प्रकार की कृत्य की पुनरावृति नहीं करने की चेतावनी दी जाती है । साथ ही इस आदेश के निर्गत की तिथि से 02 (दो) वर्ष के लिए इस शर्त्त के साथ कालीकृत किया जाता है कि भविष्य में इस तरह की घटना के संज्ञान में आने पर नियमानुसार पुनः काली सूची में सम्मिलित कर दिया जायेगा एवं इस तरह के कृत्य की पुनरावृति किये जाने पर उनके विरूद्ध प्राथमिकी (FIR) भी दर्ज की जा सकती है ।

Sd/- 23/07

(बी0 कार्तिकेय धनजी)
(सचिव)
लघु जल संसाधन विभाग ।

ज्ञापांकः- 4856 /पटना, दिनांकः- 23/7/26

प्रतिलिपिः- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/भवन निर्माण विभाग/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

Sd/- 23/07

(सचिव)
लघु जल संसाधन विभाग ।

ज्ञापांकः- 4856 /पटना, दिनांकः- 23/7/26

प्रतिलिपिः- **स्पीड पोस्ट**- मेसर्स न्यासा इंटरप्राईजेज, प्रो0- हरेन्द्र कुमार, पता- रिकाबगंज ठेकारी, जिला-गया, पिन कोड-824236/मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0), लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिचाई प्रमंडल, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

Sd/- 23/07

(सचिव)

कम्प्यूटरीकृत आगत
पंजीयन संख्या
पंजीयन सं०- 5979142
दिनांक- 24/07/2026

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद के अधीन शीर्ष पी०एम०जी०एस०वाई० योजनान्तर्गत कुल 02(दो) पथ निर्माण कार्य संवेदक Balajee Developers(Regd. No-2180267) को आवंटित किया गया। उक्त दोनों पथों की विवरणी निम्नरूपेण है:–

क्र0सं0	पथ का नाम	कार्य पूर्णता की तिथि	अनुरक्षण कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि
1	Kinjar Kutha road Khaira to Pathak Bigha	01.09.2020	31.08.2025
2	L131 Shakurabad Kurtha road to Bariyadih	01.09.2020	31.08.2025

विभागीय निदेशानुसार जिन पथों में ए0टी0आर0 का निराकरण नहीं किया गया है उसका Defect Liability Period(DLP) बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। विस्तारित अवधि में प्रश्नगत दोनों पथों में ए0टी0आर0 का निराकरण नहीं कराने के कारण एकरारनामा विखंडन के उपरांत संवेदक Balajee Developers(Regd. No-2180267) के विरूद्ध बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधान के तहत कार्रवाई किये जाने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया। अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 7691 अनु0 दिनांक 17.06.2026 एवं पत्रांक 9142 दिनांक 08.07.2026 द्वारा निबंधित डाक के माध्यम से संवेदक से कारणपृच्छा की गई।

उक्त कारणपृच्छा के आलोक में संवेदक द्वारा अबतक बचाव बयान समर्पित नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि संवेदक को अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में कार्य प्रमंडल, जहानाबाद के अधीन शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत कुल 02(दो) पथों में एकरानामा के अनुरूप कार्य पूर्ण नहीं किये जाने/ ए0टी0आर0 का निराकरण नहीं कराने संबंधी आरोप को प्रमाणित मानते हुए बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007(ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) एवं 11(ख)(ii) में निहित प्रावधान के आलोक में संवेदक Balajee Developers(Regd. No-2180267),At-New colony Chhotki Delha, road no-5 Dist-Gaya, Pin-823002 को 10(दस) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

ह० 23.07.2026
(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:–14/अ0प्र0–14–201/2026 9988 /पटना, दिनांक:– 23.7.26

प्रतिलिपि:– Balajee Developers(Regd. No-2180267),At-New colony Chhotki Delha, road no-5 Dist-Gaya, Pin-823002 को सूचनार्थ प्रेषित।

निबंधित

ह०
अभियंता प्रमुख

P.T.O.

7. 71(/8. संवितक

1612

ज्ञापांक:–14 / अ0प्र0–14–201 / 2026 9988 / पटना, दिनांक:– 23.7.26

प्रतिलिपि:–सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:–14 / अ0प्र0–14–201 / 2026 9988 / पटना, दिनांक:– 23.7.26

प्रतिलिपि:–अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / योजना एवं विकास विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास एवं आवास विभाग / उर्जा विभाग / कृषि विभाग / पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:–14 / अ0प्र0–14–201 / 2026 9988 / पटना, दिनांक:–23.7.26

प्रतिलिपि:–आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया के अधीन पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत Gaya Tekari Road to Deguna T08 पथ निर्माण कार्य संवेदक Sudhir Kumar Singh(Regd. No-2161063) को आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि 15.04.2017 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 14.04.2018 है।

उक्त पथ में पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं किये जाने के कारण कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया का सकारण आदेश ज्ञापांक 885 दिनांक 07.04.2026 द्वारा प्रश्नगत पथ के एकरारनामा को विखंडित करते हुए क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में मुख्य अभियंता–02(गया), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया का पत्रांक 497 अनु0 दिनांक 88.05.2026 द्वारा विहित प्रपत्र में संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया। अनुशंसा के आलोक में संवेदक के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किये जाने के पूर्व संवेदक से कारणपृच्छा की गई। संवेदक द्वारा दिनांक 15.06.2026 को स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि–

"उक्त पथ से डोभी पटना फोरलेन निर्माण हेतु भारी वाहन(बालु एवं मिटट्टी लदे वाहन) का आवागमन अधिक मात्रा में शुरू हो गया था, जिसकी सूचना मेरे द्वारा मौखिक रूप से संबंधित पदाधिकारी को सूचना दी गई थी, जिसकी जी0पी0एस0 फोटोग्राफ संलग्न कर रहा हूं। इसके बाद पथ में उत्पन्न पॉट पैच की मरम्मति भी की गई। लेकिन लागत अधिक लगने के कारण मेरी मजबूरी थी कि कालीकरण कार्य कर पाना अनुरक्षण राशि के अनुसार संभव नहीं था।"

संवेदक के स्पष्टीकरण पर नोडल पदाधिकारी, पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि संवेदक द्वारा भारी वाहनों के आवागमन से संबंधित कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है साथ ही अनुरक्षण कार्य नहीं कराने में संवेदक का दोष परिलक्षित होने की बात कही गई है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में कार्य प्रमंडल, गया के अधीन पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत Gaya Tekari Road to Deguna T08 पथ में अनुरक्षण कार्य नहीं कराने संबंधी आरोप को प्रमाणित मानते हुए बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007(ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) एवं 11(ख)(ii) में निहित प्रावधान के आलोक में संवेदक Sudhir Kumar Singh(Regd. No-2161063),At-Hasanpura, PO-Chakand, Dist-Gaya, Pin-804404 को 10(दस) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–153/2026 10007 /पटना, दिनांकः–24.7.26

प्रतिलिपिः–सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

P.T.O.

1610

निबंधित

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–153/2026 10007 /पटना, दिनांकः– 24-7-26

प्रतिलिपिः–Sudhir Kumar Singh(Regd. No-2161063),At-Hasanpura, PO-Chakand, Dist-Gaya, Pin-804404 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–153/2026 10007 /पटना, दिनांकः–24-7-26

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–153/2026 10007 /पटना, दिनांकः–24-7-26

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

सकारण आदेश

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया के अधीन शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत Gaya Nawada road to Jamuyanwa M. Tola पथ निर्माण कार्य संवेदक Naveen Kumar Suman(Regd. No-3160017) को आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 27.07.2017 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 26.07.2018 है।

संवेदक द्वारा उक्त पथ में ससमय ए0टी0आर0 का निराकरण एवं अनुरक्षण कार्य नहीं कराने के कारण कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया का सकारण आदेश ज्ञापांक 993 दिनांक 13.04.2026 द्वारा एकरारनामा विखंडित करते हुए संवेदक Naveen Kumar Suman(Regd. No-3160017) के विरूद्ध बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधान के तहत कार्रवाई किये जाने हेतु विहित प्रपत्र में अनुशंसा की गई। अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 8004 अनु0 दिनांक 20.06.2026 एवं पत्रांक 9228 दिनांक 09.07.2026 द्वारा निबंधित डाक के माध्यम से संवेदक से कारणपृच्छा की गई।

उक्त कारणपृच्छा के आलोक में संवेदक द्वारा अबतक बचाव बयान समर्पित नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि संवेदक को अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में कार्य प्रमंडल, गया के अधीन शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत पथ Gaya Nawada road to Jamuyanwa M. Tola में ससमय ए0टी0आर0 का निराकरण एवं अनुरक्षण कार्य नहीं कराने संबंधी आरोप को प्रमाणित मानते हुए बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007(ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) एवं 11(ख)(ii) में निहित प्रावधान के आलोक में संवेदक Naveen Kumar Suman(Regd. No-3160017), Rama Bhawan, Ramna Road, PS-Civil Line, Dist-Gaya, Pin-823001 को 10(दस) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–169/2026 10009 /पटना, दिनांकः– 24.7.26

प्रतिलिपिः– Naveen Kumar Suman(Regd. No-3160017), Rama Bhawan, Ramna Road, PS-Civil Line, Dist-Gaya, Pin-823001 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–169/2026 10009 /पटना, दिनांकः– 24.7.26

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

P.T.O.

1608

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–169/2026 10009 /पटना, दिनांकः– 24-7-20

प्रतिलिपिः–सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–169/2026 10009 /पटना, दिनांकः– 24-7-20

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया के अधीन पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत Gaya Nawada Road to Bhidus पथ निर्माण कार्य संवेदक Anjeet Kumar(Regd. No-3170099) को आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि 20.07.2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 19.07.2019 है।

उक्त पथ में संवेदक द्वारा अनुरक्षण कार्य नहीं कराने के कारण कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया का सकारण आदेश ज्ञापांक 863 अनु0 दिनांक 06.04.2026 द्वारा संदर्भित पथ के एकरारनामा को विखंडित करते हुए संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने हेतु क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में मुख्य अभियंता-02(गया) का पत्रांक 431 अनु0 दिनांक 08.05.2026 द्वारा संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया। अनुशंसा के आलोक में संवेदक से कारणपृच्छा की गई।

संवेदक द्वारा दिनांक 12.06.2026 को स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए प्रतिवेदित किया गया कि सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता द्वारा अनुरक्षण कार्य करने हेतु निदेशित किया गया है, जो सही नहीं है। DLP(Defect Liability Period) 48 माह के लिए बढ़ा दिया गया है, इसकी जानकारी उन्हें पत्रांक 771 दिनांक 25.03.2026 द्वारा दी गई है।

संवेदक के स्पष्टीकरण पर नोडल पदाधिकारी, पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराते हुए बताया गया है कि संवेदक का स्पष्टीकरण वास्तविक तथ्यों पर आधारित नहीं है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में कार्य प्रमंडल, गया के अधीन पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत पथ में पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं किये जाने संबंधी आरोप को प्रमाणित मानते हुए बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007(ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) एवं 11(ख)(ii) में निहित प्रावधान के आलोक में **संवेदक** Anjeet Kumar(Regd. No-3170099), At-Vill+PO-Dema, Fatehpur, Dist-Gaya, Pin-824233 को 10(दस) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

22/07/2026

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-151/2026 10008 /पटना, दिनांक:- 24.7.26

निबंधित

प्रतिलिपि:-Anjeet Kumar(Regd. No-3170099), At-Vill+PO-Dema, Fatehpur, Dist-Gaya, Pin-824233 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-151/2026 10008 /पटना, दिनांक:- 24.7.26

प्रतिलिपि:-सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

P.T.O.

1606

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–151/2026 10008

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन नि विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लो स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायत राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/पटना, दिनांकः– 24-7

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–151/2026 10008 /पटना, दिनांकः– 24-7-26

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद के अधीन शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत L069 Mandil Sundarpur Path to Kaldi पथ निर्माण कार्य संवेदक Sri Ramanuj Sharma(Regd. No-22936) को आवंटित किया गया। उक्त पथ की कार्य पूर्णता की तिथि 29.05.2019 एवं अनुरक्षण कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि 28.05.2024 है।

विभागीय निदेशानुसार जिन पथों में ए0टी0आर0 का निराकरण नहीं किया गया है उसका Defect Liability Period(DLP) बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। विस्तारित अवधि में प्रश्नगत पथ में ए0टी0आर0 का निराकरण नहीं कराने के कारण एकरारनामा विखंडन के उपरांत संवेदक Sri Ramanuj Sharma(Regd. No-22936) के विरूद्ध बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधान के तहत कार्रवाई किये जाने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया। अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 7689 अनु0 दिनांक 17.06.2026 एवं पत्रांक 9230 दिनांक 09.07.2026 द्वारा निबंधित डाक के माध्यम से संवेदक से कारणपृच्छा की गई।

उक्त कारणपृच्छा के आलोक में संवेदक द्वारा अबतक बचाव बयान समर्पित नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि संवेदक को अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में कार्य प्रमंडल, जहानाबाद के अधीन शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत उक्त पथ में ए0टी0आर0 का निराकरण नहीं कराने संबंधी आरोप को प्रमाणित मानते हुए बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007(ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) एवं 11(ख)(ii) में निहित प्रावधान के आलोक में संवेदक Sri Ramanuj Sharma(Regd. No-22936), At-Rajapur, Bodhgaya, Dist-Gaya, Pin- 824231 को 10(दस) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–197/2026 9987 /पटना, दिनांकः– 23.7.26

प्रतिलिपिः– Sri Ramanuj Sharma(Regd. No-22936), At-Rajapur, Bodhgaya, Dist-Gaya, Pin- 824231 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–197/2026 9987 /पटना, दिनांकः– 23.7.26

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

P.T.O.

1604

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–197/2026 9987 /पटना, दिनांकः– 23.7.

प्रतिलिपिः–सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभि ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभि ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–197/2026 9987 /पटना, दिनांकः– 23.7.26

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

कम्प्यूटरीकृत आदेश
पंजीयन संख्या
पंजीयन सं०- 6028
दिनांक- 5/8/26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

सकारण आदेश संख्या–14/अ0प्र0–14–06/2026 10285 /पटना, दिनांक– 3.8.26

मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (योजना एवं विकास विभाग) के पत्रांक 4055 दिनांक 31.12.2025 द्वारा पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा–01 प्रखंड के चखनी रजवटिया पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण का कार्य एकरारित अवधि में संवेदक संवेदक केशव कुमार चौबे मिश्रा (Reg. No. 2200647), पता:–इनार बरवा, पो0–जोगिया, थाना–रामनगर जिला–पश्चिम चम्पारण, पिन कोड–845106 द्वारा नहीं किये जाने के कारण उक्त संवेदक के निबंधन को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त अनुशसां के आलोक में विभागीय पत्रांक 659 अनु0 दिनांक 16.01.2026 द्वारा संवेदक केशव कुमार चौबे मिश्रा (Reg. No. 2200647) को स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

संवेदक द्वारा अपने स्पष्टीकरण में प्रतिवेदित किया गया है कि कतिपय भूमि विवाद एवं जल जमाव होने के कारण संदर्भित भवन का कार्य वास्तविक रूा से दिनांक 15.01.2025 से शुरू होने एवं 80% कार्य पूर्ण होने की बात कही गयी है।

तदालोक में संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के आलोक में कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–02, बगहा द्वारा मंतव्य दिया गया कि संदर्भित भवन निर्माण कार्य दिनांक 01.10.2024 से शुरू हुआ था एवं एम0बी0 के अनुसार दिनांक 13.01.2025 तक upto plinth level column Casting हुआ तथा कार्य 65% पूर्ण है। साथ ही संवेदक द्वारा संदर्भित भवन का निर्माण कार्य धिमि गति से किये जाने की बात कही गयी है।

उक्त मंतव्य से स्पष्ट है कि संवेदक का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (ix) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक केशव कुमार चौबे मिश्रा (Reg. No. 2200647), पता:–इनार बरवा, पो0–जोगिया, थाना–रामनगर जिला–पश्चिम चम्पारण, पिन कोड–845106 के निबंधन संख्या:–2200647, PAN No. AQAPC9954F को 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

31/07/2026
(सुधीर कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–06/2026 10285 /पटना, दिनांक– 3.8.26

प्रतिलिपि– संवेदक संवेदक केशव कुमार चौबे मिश्रा (Reg. No. 2200647), पता:–इनार बरवा, पो0–जोगिया, थाना–रामनगर जिला–पश्चिम चम्पारण, पिन कोड–845106 को सूचनार्थ प्रेषित।

31/07/2026
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–180/2026 10285 /पटना, दिनांक– 3.8.26

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/2026
अभियंता प्रमुख P.T.O

1602

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–180 / 2026 10285 / पटना, दिनांक– 3.8.26

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव / सचिव / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधान विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / उर्जा विभाग / कृषि विभाग, बिहार, पटना / पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–06 / 2026 10285 / पटना, दिनांक–3.8.26

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–06 / 2026 10285 / पटना, दिनांक–3.8.26

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

website

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–06 / 2026 10285 / पटना, दिनांक– 3.8.26

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।

अभियंता प्रमुख

Doc. No:- BRPNNL/HQA / C00/ 191	Dt ...31/07/2026	Page No..../...

।। कार्यालय आदेश।।

सारण जिलान्तर्गत Demolition of Old Superstructure & Construction of New Superstructure including overall Maintance+Patch Repairing of Abutment, Pier & Pier Cap Demolition of Old Superstructure & Construction of New Superstructure of H.L.RCC bridge over Daha river in 27th KM of Chapara-Manjhi-Darauli-Guthani Road हेतु निकाले गये निविदा Emergent NIT पत्रांक–380(अनु0), दिनांक–11.06.2026 में निविदादात्ता सुभाष कुमार झा, प्रो0 पता–रेवासी रिगा रोड, रेवाई मुकशुदपुर टोला, सीतामढ़ी, बिहार– 843327 द्वारा निविदा में भाग लिया गया। निविदादात्ता द्वारा निविदा में समर्पित अनुभव प्रमाण–पत्र जाँच के क्रम में गलत पाया गया है। उक्त के आलोक में वरीय परियोजना अभियन्ता, सारण प्रमंडल, छपरा एवं उप मुख्य अभियन्ता, कार्य अंचल–1, पटना द्वारा गलत कागजात समर्पित करने के कारण अगले 10 वर्षो के लिए कालीकृत करने का अनुशंसा किया गया है।

विदित हो कि पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–154 सहपठित ज्ञापांक–5403 (एस), दिनांक–18.06.2026, जो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 से संबंधित है, के कंडिका–08 के उप कंडिका–4 में गलत कागजात समर्पित करने पर 10 वर्षो के लिए कालीकृत करने का प्रावधान है।

उल्लेखनीय है कि निविदादात्ता का निबंधन बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 में नही रहने के कारण निविदा में समर्पित निबंधन प्रमाण–पत्र के आधार पर कालीकृत करने हेतु इस कार्यालय का पत्रांक–1954 (अनु0), दिनांक–29.07.2026 द्वारा अभियन्ता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध किया गया है।

चूँकि निविदादाता के द्वारा फर्जी प्रमाण–पत्र Upload किया गया है, के आलोक में निविदादात्ता सुभाष कुमार झा, प्रो0 पता–रेवासी रिगा रोड, रेवाई मुकशुदपुर टोला, सीतामढ़ी, बिहार–843327 को पत्र निर्गत की तिथि से अगले 10 वर्षो तक बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 में किसी प्रकार के निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है।

ह0/–
प्रबन्ध निदेशक
बि0रा0पु0नि0नि0लि0, पटना।

ज्ञापांक–............................/पटना, दिनांक–............................

प्रतिलिपिः– सुभाष कुमार झा, प्रो0 पता–रेवासी रिगा रोड, रेवाई मुकशुदपुर टोला, सीतामढ़ी, बिहार–843327 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
प्रबन्ध निदेशक
बि0रा0पु0नि0नि0लि0, पटना।

ज्ञापांक–............................/पटना, दिनांक–............................

प्रतिलिपिः– सचिव (योजना एवं प्रशासन)/सभी उप मुख्य अभियन्ता/सभी वरीय परियोजना अभियन्ता/वरीय योजना अभियन्ता/वरीय गुण नियंत्रण अभियन्ता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रबन्ध निदेशक
बि0रा0पु0नि0नि0लि0, पटना।

कृ0पृ0प0...............

1600

ज्ञापांक–../पटना, दिनांक–..
प्रतिलिपिः–बेवसाईट प्रभारी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रबन्ध निदेशक
बि0रा0पु0नि0नि0लि0, पटना।

ज्ञापांक–......1998../पटना, दिनांक–....31/07/2026.......................................
प्रतिलिपिः– अभियन्ता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

31.7.26

प्रबन्ध निदेशक
बि0रा0पु0नि0नि0लि0, पटना।

31.07.2026

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
(A Govt. of Bihar Undertaking)
ISO 9001:14001;OHSAS 18001
Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasa, Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna-800004
Tel. No : 0612 - 2660850 *Fax No : 0612 - 2660256, E-mail: bseidc@gmail.com

कार्यालय–आदेश

संख्या– 144 पटना, दिनांक– 23/7/26

Construction of different Building in the Camps of Sainik School, Gopalganj, एकरारनामा संख्या–84 SBD of 2021–22, दिनांक–15.09.2021 के संवेदक **"AIPL-GMC(JV)., Add-302, Shikshar Complex Opposite Navneet House, Gurukul Road Memnagar, Ahmedabad-380052"** के निर्माण कार्य के दौरान विपत्र भुगतान के समय संवेदक द्वारा समर्पित Mining Challan का सत्यापन करने के उपरान्त फर्जी पाया गया। प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कार्यालय, बिहार, पटना द्वारा अंकेक्षण के समय संवेदक द्वारा समर्पित चालानों के जाँचोपरान्त महालेखाकार (लेखा परीक्षा) का पत्रांक–प्रतिवेदन (सा०क्षे०उ०)/AR-2023-24/35, दिनांक–17.02.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि 290 चालान के विरूद्ध 204 चालानों में अनियमितता पायी गयी है।

कार्यालय पत्रांक–BSEIDC/FIN/5805/2024-2160, दिनांक–20.03.2026 एवं पत्रांक–BSEIDC/FIN/5805/2024-2608, दिनांक–09.04.2026 से संवेदक से स्पष्टीकरण की गयी, जिसके आलोक में संवेदक का पत्रांक–01, दिनांक–11.04.2026 द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब दिया गया तथा कार्यालय पत्रांक–3649, दिनांक–14.05.2026 से संवेदक द्वारा माँगी गई जानकारी का जवाब दिया गया। कार्यालय पत्रांक–2164, दिनांक–20.03.2026 एवं कार्यालय पत्रांक–2383, दिनांक–02.04.2026 से Dy.A.G/PSU (Reports), Patna को संवेदक से फर्जी चालान पर किये गये भुगतान के वसूली (Recovery)) की जानकारी दी गयी है। संवेदक से फर्जी चालान के विरूद किये गये भुगतान की राशि को विभिन्न तिथियों में कुल राशि (29.26 लाख + 70.02 लाख) = 99.28 लाख की राशि Security Deposit से वसूली कर ली गयी है।

संवेदक द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण को अस्वीकृत किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में BSEIDC ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2025 के आलोक में संवेदक **"AIPL-GMC(JV)., Add-302, Shikshar Complex Opposite Navneet House, Gurukul Road Memnagar, Ahmedabad-380052"** के निबंधन को पत्र निर्गत की तिथि से अगले 03 (तीन) वर्षो के लिए कालीकृत किया जाता है।

ह०/–
मुख्य अभियंता

ज्ञापांकः–BSEIDC/TECH/8305/2026- पटना, दिनांक–.............

प्रतिलिपिः–"**"AIPL-GMC(JV)., Add-302, Shikshar Complex Opposite Navneet House, Gurukul Road Memnagar, Ahmedabad-380052" E-Mail id-vinodkumar1968@gmail.com** को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
मुख्य अभियंता

ज्ञापांकः–BSEIDC/TECH/8305/2026- पटना, दिनांक–.............

प्रतिलिपिः–सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक) (मुख्यालय/क्षेत्रीय)/वरीय लेखा पदाधिकारी, निगम वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु श्री पंकज कुमार सिंह, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, BSEIDC को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
मुख्य अभियंता

...पत्र सं०- 9827 दिनांक-04.38/2023

1598

ज्ञापांकः–BSEIDC/TECH/8305/2026- 5468 पटना, दिनांक– 27/7/26

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

24/7/26

मुख्य अभियंता